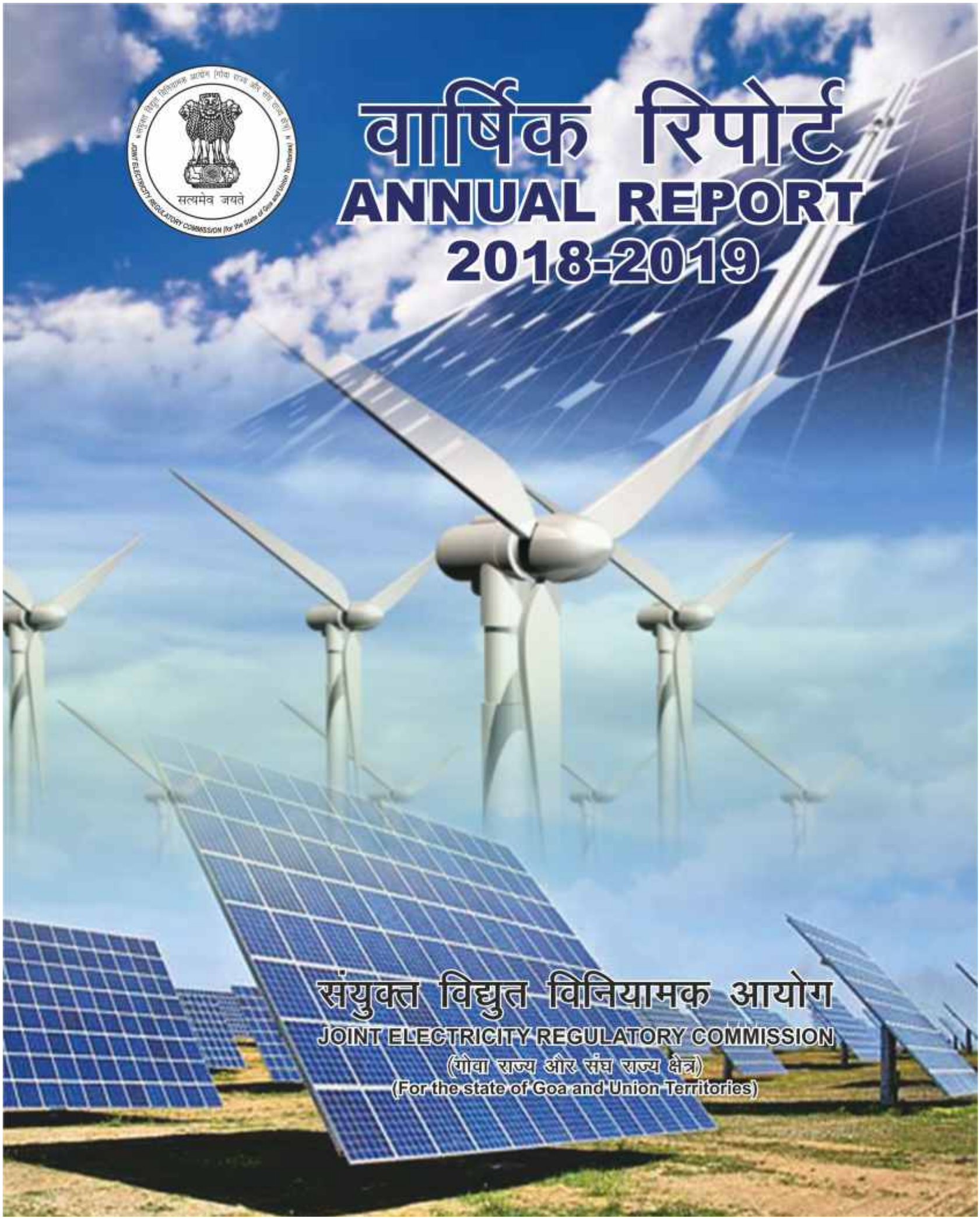

वार्षिक रिपोर्ट
ANNUAL REPORT
2018-2019

संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग
JOINT ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION
(गोवा राज्य और संघ राज्य क्षेत्र)
(For the state of Goa and Union Territories)

संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग

(गोवा राज्य और संघ राज्य क्षेत्र)

वित्तीय वर्ष **2018–19**

के लिए

11वीं वार्षिक रिपोर्ट

(विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 105 के अंतर्गत)

संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग
(गोवा राज्य और संघ राज्य क्षेत्र के लिए)

तीसरा एवं चौथा तल, प्लॉट नं. 55–56, सेक्टर–18,
उद्योग विहार फेस–IV, गुरूग्राम–122015 (हरियाणा)
वेबसाइटः www.jercuts.gov.in
ई–मेलः secy.jercuts@gov.in

विषय–वस्तु

क्र.सं.	विषय–वस्तु	पृष्ठ सं.
	अध्यक्ष महोदय की डेस्क से	**3**
1.	**आयोग का संगठनात्मक ढांचा**	
1.1	प्रस्तावना	4
1.2	आयोग के सदस्यों का प्रोफाइल	5–6
1.3	आयोग का कार्यालय	7
1.4	संगठनात्मक संरचना	8
2.	**विद्युत अधिनियम, 2003 के अधीन आयोग की भूमिका**	
2.1	अधिनियम की प्रस्तावना	9
2.2	आयोग को अधिदेशित कार्य	9–10
3.	**आयोग के कार्यकलाप**	
3.1	विनियम	11
3.2	बहु वर्षीय व्यवसाय योजना का अनुमोदन	12
3.3	वित्त वर्ष 2019–20 के लिए एआरआर तथा टैरिफ का निर्धारण	13
3.4	जेईआरसी के क्षेत्राधिकार में विद्युत कंपनियों के महत्वपूर्ण मानक	14
3.5	राज्य सलाहकार समिति की बैठकें	15
3.6	याचिकाओं की स्थिति	16
3.7	विवादों और मतभेदों का अधिनिर्णय	16–18
4.	**वार्षिक लेखा**	18–20
5.	**सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत सूचना**	20
6.	**2018–19 की कार्य–योजना**	21
7.	**अनुबंध**	22–27

अध्यक्ष महोदय की डेस्क से

मुझे वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (गोवा और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए) की ग्यारहवीं वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए बेहद खुशी हो रही है। यह वार्षिक रिपोर्ट विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 105 के प्रावधानों के अनुपालन में तैयार की गई है, और इसमें वित्तीय वर्ष 2018–19 के वार्षिक खातों की झलक के साथ–साथ आयोग द्वारा की गई गतिविधियों का सारांश शामिल है; और इसके अलावा, आगामी वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए योजनाबद्ध गतिविधियाँ भी शामिल हैं।

आयोग के लिए यह वर्ष कई दृष्टिकोणों से महत्वपूर्ण था। इस वर्ष के दौरान, आयोग ने अपने अनुभव और विस्तृत विश्लेषण, कंपनियों और उपभोक्ताओं के साथ बातचीत और परामर्श के आधार पर अपने विनियमों अर्थात् बिजली आपूर्ति कोड, बहु–वर्ष उत्पादन, ट्रांसमिशन और वितरण प्रशुल्क विनियमों में संशोधन करके सभी हितधारकों के बीच विनियामक निश्चितता और स्थिरता बनाए रखने के लिए कई पहल कीं। आयोग स्वतः संज्ञान याचिका के माध्यम से मानक विनियम निष्पादन में निर्धारित लक्ष्य के अनुसार डिस्कॉम के निष्पादन की निगरानी करता है।

आयोग अक्षय ऊर्जा क्षेत्र के विकास और ग्रिड के साथ प्रभावी और संतुलित एकीकरण बनाते हुए हमेशा सक्रिय रहा है। इस दिशा में, आयोग विशेष रूप से नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से टैरिफ निर्धारण पर विनियमों को अधिसूचित कर रहा है।

वर्ष 2018–19 के दौरान, आयोग ने एक ट्रांसमिशन लाइसेंसधारी अर्थात् विद्युत विभाग–दादरा और नागर हवेली; सात वितरण लाइसेंस/विद्युत विभागों नामतः अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, चंडीगढ़, पुदुचेरी, दमन और दीव, डीएनएच पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड और गोवा तथा वित्त वर्ष 2019–20 के लिए एक उत्पादन कंपनी अर्थात् पुडुचेरी पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड के संबंध में समय पर टैरिफ आदेश जारी किए। वित्त वर्ष 2018–19 के अधिकांश लाइसेंसधारियों की वार्षिक निष्पादन समीक्षा भी की गई।

उपभोक्ता का हित हमेशा से आयोग के लिए प्राथमिकता रहा है। आयोग ने स्वतंत्र लोकपाल और उपभोक्ता शिकायत निवारण मंचों के माध्यम से समयबद्ध तरीके से बिजली उपभोक्ताओं की शिकायतों के निवारण के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए हैं। बिजली के क्षेत्र में एक स्वस्थ और अनुकूल वातावरण बनाने के लिए, आयोग परामर्श प्रक्रिया का पालन करता है, उपभोक्ता संगठनों, उद्योग संघों, विद्युत क्षेत्र के विशेषज्ञों और उपयोगिताओं की जन सुनवाई और राज्य सलाहकार समिति की बैठकों के माध्यम से विभिन्न मुद्दों पर लगातार बातचीत करता है।

दक्षता, व्यावसायिकता बढ़ाने और बिजली क्षेत्र में विभिन्न नए और उभरते मुद्दों से परिचित कराने के उद्देश्य से, आयोग के अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रशिक्षण और कार्यशालाओं में भाग लेने के लिए लगातार भेजा जा रहा है। इसी प्रकार, आयोग भी अपने कर्मचारियों की क्षमता बढ़ाने और कौशल विकास कार्यक्रम का आयोजन करके कंपनियों को प्रोत्साहित करता है।

अंत में, मैं उपभोक्ताओं और उपभोक्ता संगठनों, राज्य सलाहकार समिति के सदस्यों और अन्य हितधारकों का उनके द्वारा दिए गए बहुमूल्य सुझावों के लिए आभार व्यक्त करता हूँ और हार्दिक धन्यवाद देता हूं जिन्होंने एक तर्कसंगत, संतुलित टैरिफ आदेशों का निर्धारण करने और अन्य विनियामक गतिविधियों में आयोग की मदद की। अपनी इस टिप्पणी के साथ, मैं वित्त वर्ष 2018–19 के लिए आयोग की 11वीं वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करता हूं।

एम. के. गोयल
अध्यक्ष

आयोग का संगठनात्मक ढांचा

1.1 परिचय

विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 83 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार ने दिल्ली को छोड़कर सभी संघ राज्य क्षेत्रों के लिए 'संघ राज्य क्षेत्रों के लिए संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग' नामक एक दो सदस्यीय (अध्यक्ष सहित) संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग, जिसका मुख्यालय दिल्ली में स्थित था, का गठन किया, जैसा कि दिनांक 2 मई, 2005 की अधिसूचना सं. 23/52/2003 – आरएंडआर द्वारा अधिसूचित किया गया। बाद में, गोवा राज्य के शामिल होने के बाद, आयोग को 'गोवा राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग' के नाम से जाना जाने लगा जो कि दिनांक 30 मई, 2008 की अधिसूचना सं. 23/52/2003 – आरएंडआर (खंड–II) द्वारा अधिसूचित किया गया। गोवा राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग ने अगस्त 2008 से कार्य करना आरंभ किया। आयोग का कार्यालय वर्तमान में हरियाणा के गुड़गांव नगर में एक किराए के भवन में अवस्थित है।

वर्ष के दौरान आयोग ने अपने क्षेत्राधिकार में गोवा राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों में एक उचित, पारदर्शी और निष्पक्ष विनियामक प्रक्रिया स्थापित करने का प्रयास किया है। आयोग की 11वीं वार्षिक रिपोर्ट वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान आयोग की गतिविधियों को प्रस्तुत करती है।

आयोग के पास, विद्युत अधिनियम, 2003 के अंतर्गत किसी जांच अथवा कार्यवाही के प्रयोजन से वही शक्तियाँ हैं जो अधिनियम की धारा 94 की उप–धारा (1) के अंतर्गत सूचीबद्ध विषयों के संबंध में दीवानी प्रक्रिया संहिता, 1908 के अंतर्गत किसी सिविल न्यायालय में निहित हैं।

आयोग के समक्ष चलने वाली सभी कार्यवाहियों को भारतीय दंड संहिता की धारा 193 और 228 के अर्थों के अंतर्गत न्यायिक कार्यवाहियां माना जाता है और दंड संहिता प्रक्रिया, 1973 की धारा 345 और 346 के प्रयोजन के लिए आयोग को एक सिविल न्यायालय माना जाता है। आयोग को विद्युत उत्पादन कंपनियों और लाइसेंस जारीकर्ताओं के बीच उत्पन्न होने वाले सभी विवादों का निर्णय करने अथवा इनकी मध्यस्थता करने और इनका निपटान करने के लिए मध्यस्थ(थों) को मनोनीत करने का पूरा अधिकार है।

1.2 आयोग के सदस्यों की प्रोफाइल

श्री एम. के. गोयल
अध्यक्ष

श्री एम.के. गोयल ने 17 फरवरी, 2017 को गोवा राज्य और केंद्रशासित प्रदेश के लिए संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (जेईआरसी) के अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला।

कानपुर विश्वविद्यालय से इलेक्ट्रिकल इंजीनियर श्री गोयल को विभिन्न विद्युत क्षेत्रों का 37 वर्ष से अधिक का अनुभव है। जेईआरसी में कार्यभार ग्रहण करने से पहले, वे पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के रूप में कार्य कर रहे थे, जो एक नवरत्न पीएसयू है और देश का सबसे बड़ा एनबीएफसी है। उन्हें पीएफसी में पॉवर फाइनेंसिंग का लगभग 28 वर्ष, और 1988 में पीएफसी में शामिल होने से पहले एनएचपीसी में 9 वर्ष का बिजली उत्पादन का अनुभव है। उन्हें पीएफसी में बोर्ड स्तर का 9 वर्ष से अधिक का अनुभव है।

सीएमडी, पीएफसी के रूप में उनके नेतृत्व में, विद्युत क्षेत्र में कड़ी चुनौतियां होने के बावजूद, पीएफसी ने वित्तीय और परिचालन निश्पादन में बढ़ोतरी सहित व्यापार में निरंतर वृद्धि दर्ज की है। परिणामस्वरूप, 31.03.2016 को निवल मूल्य (सभी रिजर्व) के आधार पर पीएफसी देश में सबसे बड़ा एनबीएफसी है और डीपीई सर्वेक्षण 2016 के अनुसार लाभ अर्जित करने वाला 5वां सबसे बड़ा पीएसयू है। उन्होंने वित्त वर्ष 2013–14 और वित्त वर्ष 2014–15 के लिए भारत सरकार द्वारा निर्धारित सभी समझौता–ज्ञापन लक्ष्यों की प्राप्ति भी सुनिश्चित की है, जिसमें सीएमडी के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान पीएफसी को लगातार 2 वर्ष तक 1.00 का उच्चतम समझौता–ज्ञापन अंक प्राप्त हुआ था।

उन्होंने भारत सरकार की पहल की अगुवाई करते हुए विभिन्न विद्युत क्षेत्र सुधार कार्यक्रमों को भी आगे बढ़ाया, जिसमें एकीकृत विद्युत विकास योजना (आईपीडीएस), उदय, 24X7 सभी के लिए बिजली आदि शामिल थे। उन्होंने यूएमपीपी, आईटीपी, यूएमपीपी बोली दस्तावेजों की समीक्षा आदि जैसी भारत सरकार की अन्य पहलों के कार्यान्वयन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

उन्होंने नीतिगत और विनियामक क्षेत्रों से संबंधित विभिन्न समितियों में महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में बिजली क्षेत्र और वित्तीय उद्योग के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है जैसे (1) नीतिगत मुद्दों पर सीईआरसी को सलाह देने के लिए 'केंद्रीय सलाहकार समिति' (सीएसी) (2) सीईए द्वारा गठित राष्ट्रीय विद्युत योजना के लिए 'निधियों की आवश्यकता', (3) विनियामक परिवर्तनों आदि के लिए आरबीआई के साथ वित्त–पोषण के मुद्दों को उठाने के लिए 'वित्त–पोषण के बुनियादी ढांचे पर उच्च स्तरीय समिति'।

श्रीमती नीरजा माथुर
सदस्य

श्रीमती नीरजा माथुर ने दिनांक 26.08.2015 से संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (गोवा राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए) के सदस्य का कार्यभार संभाला। पहले, श्रीमती नीरजा माथुर 01.11.2013 से 31.12.2014 तक केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) के अध्यक्ष पद पर रहीं। सीपीईएस कैडर की अधिकारी, श्रीमती नीरजा माथुर जुलाई 1979 में संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से सहायक निदेशक के रूप में सीईए में शामिल हुई थी और उनके पास सीईए में विभिन्न पदों पर अपने व्यापक और विविध कार्य अनुभव के दौरान विद्युत क्षेत्र के विकास में लगभग 34 वर्षों का बहुआयामी अनुभव है। श्रीमती नीरजा माथुर आईआईटी, रूड़की से स्नातक डिग्री तथा आईआईटी, दिल्ली से एम.टेक डिग्री के साथ इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की विधा में एक तकनीकी प्रोफेशनल हैं।

विद्युत प्रणाली संरक्षण और इंस्ट्रूमेंटेशन तथा पारेषण योजनाओं के क्षेत्र में आरंभिक कार्यकाल के दौरान, श्रीमती नीरजा माथुर ने विद्युत क्षेत्र में योजना, लोड डिस्पेच और दूरसंचार सुविधाओं के क्षेत्र में व्यापक रूप से कार्य किया। समेकित संसाधन योजना प्रभाग में निदेशक और मुख्य अभियंता के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान, श्रीमती नीरजा माथुर अल्पावधि और दीर्घावधि दोनों प्रकार के उत्पादन योजना और लोड पूर्वानुमान से संबद्ध रहीं। देश में समेकित संसाधन नियोजन के लिए पंचवर्षीय योजना अवधियों के लिए राष्ट्रीय विद्युत योजना और कार्यकारी समूह रिपोर्टें तैयार करने में वे काफी सक्रिय रहीं। उन्होंने विस्तृत रूप से 11वीं योजना और 12वीं और 13वीं योजना के परिप्रेक्ष्य में अप्रैल 2007 में प्रकाशित राष्ट्रीय विद्युत योजना तैयार करने में कारगर भूमिका अदा की। इसके बाद श्रीमती माथुर ने राष्ट्रीय विद्युत योजना के गठन का भी मार्गदर्शन किया है, जिसका प्रकाशन किया जा रहा है जिसमें 12वीं योजना का विस्तृत ब्यौरा तथा 13वीं और 14वीं योजनाओं की भावी रूपरेखा शामिल है। प्रचालन निगरानी प्रभाग के मुख्य अभियंता के रूप में, उन्हें देश में विद्युत स्टेशनों की ईंधन निगरानी और ईंधन की उपलब्धता से संबंधित मुद्दों के समाधान का कार्य सौंपा गया।

श्रीमती नीरजा माथुर ने ग्रिड प्रबंधन, वितरण प्रणाली कार्यशीलता और उत्पादन इकाइयों के प्रचालन निष्पादन की जिम्मेदारी के साथ 1 मार्च, 2013 से सदस्य (ग्रिड प्रचालन एवं वितरण), सीईए और भारत सरकार के पदेन अपर सचिव के रूप में कार्यभार ग्रहण किया। 1 नवम्बर 2013 से सीईए के अध्यक्ष के रूप में अपने कार्यकाल में, श्रीमती नीरजा माथुर पूर्णरूप से देश के विद्युत क्षेत्र के सभी पहलुओं के समग्र नियोजन और समन्वय में शामिल रहीं। उन्होंने उत्पादन क्षमता बढ़ाने और वितरण नेटवर्क को सुदृढ़ करने के साथ ही पारेषण प्रणाली के अनुरूप विकास को सुविधाजनक बनाने पर जोर दिया।

सीईए के अध्यक्ष के पद से संलग्न जिम्मेदारियों के भाग रूप में, श्रीमती नीरजा माथुर केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) के महत्वपूर्ण मामलों से, सीईआरसी की पदेन सदस्य के रूप में जुड़ी रही थीं। अपनी व्यावसायिक कौशल की वजह से, वे विद्युत क्षेत्र से संबद्ध महत्वपूर्ण समितियों/समूहों की अध्यक्ष/सदस्य रही हैं।

1.3 आयोग का कार्यालय

आयोग प्लॉट नं. 55–56, तीसरी और चौथी मंजिल, उद्योग विहार फेस–IV, सेक्टर–18, गुरुग्राम, हरियाणा में किराए के परिसर के माध्यम से कार्य कर रहा है। आयोग की अपनी वेबसाइट (www.jercuts.gov.in) है, जिसका इसके सचिवालय द्वारा नियमित रूप से रखरखाव और अपडेट किया जाता है। इस वेबसाइट का प्रयोग अनुसूचियों की सुनवाई करने, समाचार, अद्यतन सूचना, अवधारणा पत्रों पर टिप्पणियां आमंत्रित करने, विनियमों, याचिकाओं और अधिसूचित विनियमों को अपलोड करने, आयोग के आदेश आदि के लिए किया जाता है। यह उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरमों और लोकपाल पर उपभोक्ताओं को जानकारी भी प्रदान करता है और उनका मार्गदर्शन करता है।

जेईआरसी के न्यायालय कक्ष में सुनवाई

1.4 संगठनात्मक संरचना

स्वीकृत और कार्यरत कर्मचारी संख्या के आधार पर संगठनात्मक संरचना निम्न प्रकार से है:

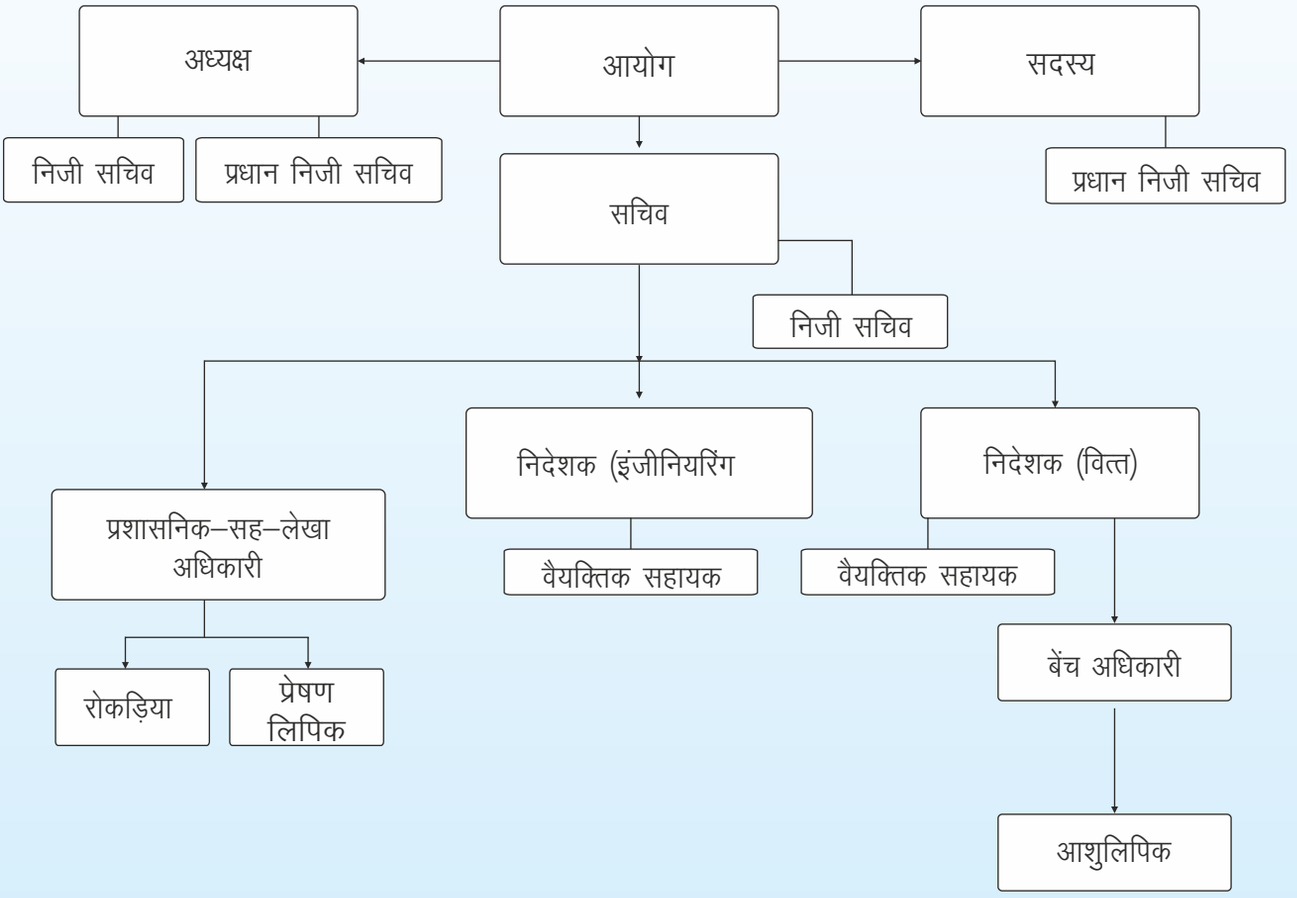

2. विद्युत अधिनियम, 2003 के अंतर्गत आयोग की भूमिका

2.1 अधिनियम की प्रस्तावना

विद्युत अधिनियम, 2003 का उद्देश्य उत्पादन, पारेशण, वितरण, व्यापार और प्रयोग से संबंधित कानूनों को सुदृढ़ बनाना तथा सामान्यतः विद्युत उद्योग के विकास, उसमें प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करने, उपभोक्ताओं के हितों के संरक्षण तथा पारदर्शी नीतियों को सुनिश्चित करते हुए विद्युत टैरिफों को युक्तिसंगत बनाकर सभी क्षेत्रों में विद्युत की आपूर्ति के लिए अनुकूल उपाय करना है।

2.2 आयोग को अधिदेशित कार्य

विद्युत अधिनियम, 2003 के तहत जेईआरसी गोवा राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों में, सस्ती दरों पर विद्युत की विश्वसनीय आपूर्ति सुनिश्चित करने की अपनी प्राथमिक जिम्मेदारी को पूरा करते हुए सभी हितधारकों के हितों को ध्यान में रखते हुए एक सक्षम और आर्थिक रूप से व्यावहारिक विद्युत प्रणाली का सृजन करने के प्रति प्रतिबद्ध है तथा गोवा राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों में लाइसेंसधारकों और उत्पादन कंपनियों के हितों की रक्षा करने के साथ–साथ उपभोक्ताओं को उचित व्यवहार प्रदान करने के अपने दायित्वों के निर्वहन में पारदर्शिता, जवाबदेही, समानता और भागीदारी के सिद्धांतों से प्रेरित है। उपरोक्त की प्राप्ति के लिए, आयोग को विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 86(1) के अंतर्गत निम्नलिखित कार्य करने का अधिदेश दिया गया है:

यथास्थिति, राज्य के अंदर थोक बिक्री, बल्क या खुदरा में विद्युत उत्पादन, आपूर्ति, पारेषण, चक्रण के लिए टैरिफ निर्धारित करना;

क) बशर्ते कि जहां उपभोक्ताओं की किसी श्रेणी को धारा 42 के अंतर्गत ओपन एक्सेस प्रदान किया गया हो, तो राज्य आयोग उपभोक्ताओं की उक्त श्रेणी के लिए केवल चक्रण प्रभार और उस पर अधिभार, यदि कोई हो, का निर्धारण करेगा;

ख) वितरण लाइसेंसधारकों की विद्युत क्रय और प्रापण प्रक्रिया को विनियमित करना, जिसमें वह मूल्य भी शामिल है, जिस पर राज्य के भीतर विद्युत के वितरण और आपूर्ति के लिए उत्पादक कंपनियों अथवा लाइसेंसधारकों अथवा विद्युत की खरीद के लिए करारों के माध्यम से अन्य स्रोतों से बिजली खरीदी जाएगी;

ग) विद्युत के अंतर्राज्यीय पारेषण और चक्रण को सहायता प्रदान करना;

घ) राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के अंदर, उनके प्रचालनों के संबंध में पारेषण लाइसेंसधारकों, वितरण लाइसेंसधारकों और विद्युत व्यावसायियों के रूप में कार्य करने के इच्छुक व्यक्तियों को लाइसेंस जारी करना;

ङ) ग्रिड के साथ संयोजनता तथा किसी व्यक्ति को बिजली के विक्रय के लिए उपयुक्त उपायों का प्रावधान करके नवीकरणीय स्रोतों से विद्युत के सह–उत्पादन और उत्पादन को प्रोत्साहित करना तथा साथ ही, ऐसे स्रोतों से विद्युत की खरीद के लिए वितरण लाइसेंस के क्षेत्र में बिजली की कुल खपत का प्रतिशत निर्धारित करना;

च) लाइसेंसधारकों और उत्पादक कंपनियों के बीच विवादों का निर्णय करना तथा किसी अन्य विवाद को माध्यस्थता के लिए निर्दिष्ट करना;

छ) इस अधिनियम के अंतर्गत विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए शुल्क लगाना;

ज) केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट भारतीय विद्युत ग्रिड संहिता (आईईजीसी) से सुसंगत राज्य ग्रिड संहिता विनिर्दिष्ट करना;

झ) लाइसेंसधारकों द्वारा सेवा की गुणवत्ता, निरंतरता और विश्वसनीयता के संबंध में मानकों को निर्दिष्ट अथवा प्रवर्तित करना;

ञ) यदि आवश्यक समझा जाए, तो विद्युत के अंतर्राज्यीय व्यवसाय में व्यवसाय संभावना को नियत करना;

ट) ऐसे अन्य कार्यों का निर्वहन जो अधिनियम के अंतर्गत इसे विनिर्दिष्ट किए जाएं।

अधिनियम की धारा 86(2) के अनुसार, आयोग निम्नलिखित सभी अथवा इनमें से किसी एक मामले पर राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार को परामर्श देगा:

i) विद्युत उद्योग के क्रियाकलापों में प्रतिस्पर्धा, दक्षता और मितव्ययता को प्रोत्साहित करना;
ii) विद्युत उद्योग में निवेश को प्रोत्साहित करना;
iii) राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों में विद्युत उद्योग का पुनर्गठन और पुनर्संरचना; और
iv) विद्युत उत्पादन, पारेषण, वितरण और व्यवसाय से संबंधित मामले तथा सरकार द्वारा संयुक्त आयोग को निर्दिष्ट किया गया कोई अन्य मामला;

धारा 86(3) के संबंध में, आयोग अपने कार्यों का निर्वहन करते हुए अपने अधिकारों का प्रयोग करते समय पारदर्शिता सुनिश्चित करेगा; और धारा 86(4) के अनुसार, अपने कार्यों के निर्वहन में विद्युत अधिनियम, 2003, राष्ट्रीय विद्युत नीति, राष्ट्रीय विद्युत योजना और टैरिफ नीति द्वारा आयोग का मार्गदर्शन किया जाएगा।

गोवा में टैरिफ के निर्धारण पर जन सुनवाई की एक तस्वीर

3. वित्तीय वर्ष 2018–19 की मुख्य विशेषताएं

3.1 विनियम

1. वर्ष 2018–19 के दौरान, निम्नलिखित विनियम अधिसूचित किए गए:–

(क) संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (उत्पादन, ट्रांसमिशन और वितरण बहु वर्षीय टैरिफ) विनियम, 2018

(ख) संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (विद्युत आपूर्ति संहिता) विनियम, 2018

2. निम्नलिखित विनियमों में संशोधन किया गया:–

(क) संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (विद्युत आपूर्ति संहिता) पहला संशोधन विनियम, 2019

3. निम्नलिखित विनियम सार्वजनिक डोमेन में डाले गए हैं, लेकिन वर्ष 2018–19 में इन्हें अंतिम रूप नहीं दिया गया है और वर्ष 2019–20 में अंतिम रूप दिया जाएगा:–

(क) संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से टैरिफ निर्धारण के लिए निबंधन एवं शर्तें) विनियम, 2019

(ख) संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (नेट मीटरिंग पर आधारित सोलर पीवी ग्रिड इंटरएक्टिव सिस्टम) विनियम, 2019

(ग) संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम और लोकपाल) विनियम, 2019

31.03.2019 तक आयोग द्वारा जारी विनियमों की सूची अनुलग्नक–IV में संलग्न है।

3.2 वित्त वर्ष 2019–20 से वित्त वर्ष 2021–22 तक दूसरे नियंत्रण वर्ष के लिए बहु वर्षीय व्यवसाय योजना का अनुमोदन

संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (उत्पादन, ट्रांसमिशन और वितरण बहु वर्षीय टैरिफ) विनियम, 2018 के अनुसार, वित्त वर्ष 2019–20 से वित्त वर्ष 2021–22 तक के लिए तीन वर्ष की नियंत्रण अवधि हेतु प्रत्येक वितरण और ट्रांसमिशन लाइसेंसधारी को व्यवसाय योजना प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है, जिसमें पूंजीगत निवेश योजना, पूंजीगत अवसंरचना, निष्पादन लक्ष्य, बिक्री पूर्वानुमान, विद्युत खरीद योजना और अन्य प्रस्ताव तथा आयोग के समक्ष नियंत्रण अवधि के प्रत्येक वर्ष का विवरण शामिल होता है।

सभी वितरण और ट्रांसमिशन उपयोगिताओं ने अपनी व्यवसाय योजना याचिकाएं दायर की हैं और आयोग ने निम्नलिखित वितरण और ट्रांसमिशन कंपनियों के लिए व्यवसाय योजना आदेश जारी किए हैं:–

क्र.सं.	उपयोगिताओं का नाम	उपयोगिताओं का नामव्यवसाय योजना याचिका दायर करने की तारीख	व्यवसाय योजना याचिका के अनुमोदन के लिए आदेश की तारीख
1.	विद्युत विभाग–अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	18.09.2018	31.12.2018
2.	विद्युत विभाग–लक्षद्वीप	04.09.2018	21.12.2018
3.	विद्युत विभाग–गोवा	01.10.2018	16.11.2018
4.	विद्युत विभाग–दादरा और नगर हवेली (ट्रांसमिशन डिवीजन)	07.09.2018	16.11.2018
5.	विद्युत विभाग–चंडीगढ	06.09.2018	12.11.2018
6.	डीएनएच पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड	04.09.2018	05.11.2018
7.	विद्युत विभाग–दमन और दीव	04.09.2018	31.10.2018
8.	विद्युत विभाग– पुदुचेरी	04.09.2018	31.10.2018

3.3 वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए टैरिफ और वार्षिक राजस्व आवश्यकता का निर्धारण

वर्ष के दौरान, आयोग ने पिछले वर्षों के टैरिफ आदेश जारी किए हैं, जिसमें पिछले वर्षों का समायोजन, वित्त वर्ष 2018–19 की वार्षिक निष्पादन समीक्षा और वार्षिक राजस्व आवश्यकता (एआरआर) में संशोधन तथा वित्त वर्ष 2019–20 के लिए अपने अधिकार क्षेत्र हेतु उत्पादन, ट्रांसमिशन और वितरण कंपनियों के लिए टैरिफ का निर्धारण शामिल है।

उपयोगिताओं के सभी टैरिफ आदेश निर्धारित समय के भीतर जारी किए गए और उन्हें सभी विभागों द्वारा भली–भांति लागू किया गया।

सिलवासा में 25.09.2018 को टैरिफ के निर्धारण पर जन सुनवाई

3.4 जेईआरसी के क्षेत्राधिकार में बिजली कंपनियों के महत्वपूर्ण मापदंडः

वित्त वर्ष 2018–19

कंपनियां

क्र. सं.	विवरण	लक्षद्वीप	अंडमान–निकोबार द्वीप समूह	चंडीगढ	दमन एवं दीव	पुदुच्चेरी	गोवा	दादर एवं नागर हवेली
1.	उपभोक्ताओं की संख्या	25,106	1,36,684	2,30,522	62,631	5,02,636	6,20,847	75,966
2.	संयोजन भार (कि.वा./के.वी.ए. में)	88313	2,58,169	1619619	884765	468039	2480929	1,447,233
3.	ऊर्जा बिक्री (मि.यू.)	67.50	278.87	1598.27	2488.38	2606.31	3,644.93	6032
4.	संशोधित टैरिफ से प्राप्त राजस्व (करोड़ रु.)	39.25	171.55	878.50	987.72	1367.89	1,634.92	2,620.32
5.	खुली पहुंच प्रभारों/एफपीपीसीए प्रभारों से राजस्व' (करोड़ रुपए)	0.00	0	21.8	0.00	11.57	0.00	103.11
6.	आपूर्ति की औसत लागत (एसीओएस) (रु./कि.वा.घं.)	19.71	18.01	5.17	4.22	5.27	5.36	4.85
7.	औसत टैरिफ (रु./कि.वा.घं.)	5.62	6.15	5.50	3.97	5.26	4.49	4.34
8.	कुल राजस्व आवश्यकता (करोड़ रु.)	133.04	502.25	827.09	1171.70	1374.75	1,952.54	2,928.88
9.	वर्ष के लिए निवल (अंतर)/अधिशेष (करोड़ रु.)	93.79	330.70	117.14	183.98	152.47	0.00	48.72
10.	टीएंडडी हानि (%)	12.25%	15.50%	12.25%	8.30%	11.00%	10.75%	4.70%
11.	क्षेत्रीय पारेषण हानि (%)	N.A.	N.A.	3.6%	3.66%	2.15%	3.66%	3.69%
12.	एसीओज के प्रतिशत के तौर पर औसत टैरिफ (%)	29.50	34.15%	106.38	94.07	99.8%	83.76%	89.57%
13.	एसीओज के % के तौर पर घरेलू	25.41	20.54%	88.39%	43.36%	52.7%	50.74%	43.09%
14.	एसीओज के % के तौर पर वाणिज्यिक	43.96	45.31%	124.18%	75.82%	127.3%	102.23%	70.09%
15.	एसीओज के % के तौर पर औद्योगिक	63.41	36.20%	116.25%	175.35%	121.4%	95.14%	90.91%
16.	एसीओज के % के तौर पर कृषि	लागू नहीं	8.88%	56.09%	15.63%	9.8%	32.65%	15.26%
17.	कुल राजस्व के % के तौर पर घरेलू राजस्व	67.95	32.45%	39.07%	2.50%	15.9%	16.65%	1.03%
18.	कुल राजस्व के % के तौर पर वाणिज्यिक राजस्व	6.85	18.60%	37.75%	1.74%	15.63%	13.56%	0.46%
19.	कुल राजस्व के % के तौर पर औद्योगिक राजस्व	0.76	7.20%	17.63%	95.24%	59.91%	66.26%	98.34%
20.	कुल राजस्व के % के तौर पर कृषि राजस्व	लागू नहीं	0.08%	0.043%	0.033%	0.21%	0.32%	0.02%

3.5 राज्य सलाहकार समिति की बैठकें

जेईआरसी ने विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 87 के अनुसार वाणिज्य, उद्योग, परिवहन, कृषि, उपभोक्ताओं, गैर–सरकारी संगठनों, शिक्षा और अनुसंधान के हितों का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक राज्य सलाहकार समिति का गठन किया है। आयोग निम्नलिखित मुद्दों पर विचार करने के लिए एसएसी की बैठकें नियमित तौर पर आयोजित करता है:

i. नीतिगत प्रमुख प्रश्न;
ii. लाइसेंसधारकों द्वारा प्रदान की जा रही सेवाओं की गुणवत्ता, निरंतरता और सीमा से संबंधित मामले;
iii. लाइसेंसधारकों द्वारा उनके लाइसेंसों की शर्तों और अपेक्षाओं का अनुपालन;
iv. उपभोक्ता हितों का संरक्षण;
v. बिजली की आपूर्ति और कंपनियों द्वारा निष्पादन के समग्र मानक।

वर्ष के दौरान आयोग ने एसएसी की एक बैठक (14वीं बैठक) अंडमान व निकोबार द्वीप समूह, पोर्ट ब्लेयर में 21.02.2019 को आयोजित की गई।

22.01.2019 को पुडुचेरी में टैरिफ के निर्धारण पर जन सुनवाई की एक तस्वीर

3.6 वित्त वर्ष 2018–19 के दौरान याचिकाओं की स्थिति

01.04.2018 को याचिकाए	2
वित्त वर्ष 2018–19 के दौरान प्राप्त याचिकाएँ	27
वित्त वर्ष 2018–19 में कुल याचिकाए	29
वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान निपटाई गई याचिकाए	27
31.03.2019 को याचिकाएं	2

31.03.2019 को लंबित याचिकाओं का विवरण निम्नानुसार है:–

1. आयोग ने अपने हिसाब से कंपनियों की मीटरिंग और बिलिंग स्थिति के क्षेत्र में स्वतः संज्ञान में ली गई एक याचिका पर विचार किया, जो लाइसेंसधारियों के साथ–साथ उपभोक्ताओं/हितधारकों के दृष्टिकोण से अत्यधिक महत्व रखती है। यह एक निरंतर याचिका है जब तक कि लाइसेंसिंग और बिलिंग दिशा–निर्देशों का पूर्ण अनुपालन लाइसेंसधारियों द्वारा नहीं कर लिया जाता।

2. स्वतः संज्ञान में ली गई याचिका के माध्यम से आयोग, अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों के लिए लाइसेंसधारियों और ओपन एक्सेस उपयोगकर्ताओं द्वारा नवीकरणीय खरीद बाध्यताओं के अनुपालन की निगरानी कर रहा है।

3.7 विवादों और मतभेदों पर अधिनिर्णय

विद्युत अधिनियम, 2003 की प्रस्तावना में उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा का विशिष्ट उल्लेख किया गया है। इसके अलावा, अधिनियम की धारा 42(5) में आयोग द्वारा निर्दिष्ट दिशानिर्देशों के अनुसार प्रत्येक वितरण लाइसेंसधारी द्वारा उपभोक्ताओं की शिकायतों के निवारण के लिए एक फोरम की स्थापना करने का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा, अधिनियम की धारा 42 की उप–धारा (6) में लोकपाल के रूप में एक प्राधिकरण की स्थापना का प्रावधान किया गया है, जिसे आयोग द्वारा नियुक्त या नामित किया जाना है। बिजली का कोई भी उपभोक्ता, जो उप–धारा (5) के तहत अपनी शिकायत का समाधान न होने से पीड़ित है, लोकपाल को अपनी शिकायत के समाधान के लिए अभ्यावेदन कर सकता है।

गोवा और केंद्रशासित प्रदेशों के लिए संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (जेईआरसी) ने विनियमों को अधिसूचित किया है जो 'अपने संशोधनों के साथ पठित जेईआरसी (उपभोक्ताओं की शिकायतों के निवारण के लिए फोरम की स्थापना) विनियम, 2009' तथा अपने संशोधनों के साथ पठित जेईआरसी (लोकपाल की नियुक्ति और कार्यप्रणाली) विनियम, 2009 के रूप में जाना जाता है। ये गोवा राज्य तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव, लक्षद्वीप और पुदुचेरी के केंद्र शासित प्रदेशों पर लागू हैं। ये उपभोक्ताओं की शिकायतों के निवारण के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रियाएं और दिशानिर्देश उपलब्ध कराते हैं। ये विनियम आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।

• सीजीआरएफ की स्थापना

बिजली उपभोक्ताओं की शिकायतों के निवारण के लिए गोवा और केंद्रशासित प्रदेशों में वितरण लाइसेंस/विद्युत विभागों द्वारा स्थापित उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम (सीजीआरएफ), वर्तमान में सभी क्षेत्रों में कार्यात्मक हैं, जिनका विवरण अनुबंध–1 में दिया गया है।

प्रत्येक सीजीआरएफ के पास अधिकार है कि वह धारा 126 और 127 (बिजली का अनधिकृत उपयोग), धारा 135 से 139 (बिजली की चोरी तथा अपराध एवं दंड), और विद्युत अधिनियम, 2003 के तहत धारा 161 (दुर्घटना की सूचना आदि) को छोड़कर, अपने वितरण लाइसेंसधारी/विद्युत विभाग द्वारा प्रदान की जाने वाली बिजली सेवाओं के संबंध में उपभोक्ताओं की शिकायतों का निवारण करे।

सभी सीजीआरएफ में उपभोक्ताओं द्वारा दाखिल की जाने वाली शिकायतों के लिए मॉडल प्रक्रियाएं उपलब्ध कराई गई हैं और यह जेईआरसी वेबसाइट पर भी उपलब्ध हैं। सीजीआरएफ को सलाह दी गई है कि वह उपभोक्ताओं को उनकी शिकायतों के निपटान के लिए उसके द्वारा बनाई गई प्रक्रियाओं के बारे में बताएं और इसे विभिन्न बिल संग्रह केन्द्रों और लाइसेंसधारी के उप–क्षेत्रीय/क्षेत्रीय कार्यालयों के नोटिस बोर्ड और वेबसाइट पर प्रदर्शित कर इसका प्रचार करें। यह भी सलाह दी गई है कि शिकायतों के निपटान की प्रक्रियाओं की प्रतियां सीजीआरएफ के कार्यालयों में रखी जाए जिससे बिजली उपभोक्ता अपनी जानकारी एवं ज्ञान के लिए बिना किसी परेशानी के इसे प्राप्त कर सकें।

वर्ष 2018–19 के दौरान सीजीआरएफ द्वारा निपटाई गई शिकायतें

सीजीआरएफ का क्षेत्राधिकार / सीजीआरएफ द्वारा शिकायतों का निपटारा	गोवा	चंडीगढ़	अंडमान–निकोबार द्वीप समूह	लक्षद्वीप	दमन व दीव	पुडुचेरी	दादरा और नगर हवेली
पिछले वर्ष की समाप्ति पर बकाया शिकायतों की संख्या	06	25	01	01	0	10	05
वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	22	209	14	15	9	63	29
वर्ष के दौरान निपटाई गई शिकायतों की संख्या	16	215	11	15	0	59	33
वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या	12	19	04	01	9	14	01
दो माह से अधिक अवधि से लंबित शिकायतों की संख्या	8	0	1	1	9	8	01
वर्ष के दौरान सीजीआरएफ की बैठकों की संख्या	24	53	216	50	0	229*	15

*11 शिविर बैठकों सहित

विद्युत लोकपाल

आयोग ने गोवा राज्य और अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह चंडीगढ़, दादर एवं नागर हवेली, दमन एवं द्वीव, लक्षद्वीप और पुदुच्चेरी संघ राज्य क्षेत्र के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत गोवा राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र के लिए एक सांविधिक प्राधिकरण के रूप में विद्युत लोकपाल नियुक्त किया है। कोई भी उपभोक्ता जो सीजीआरएफ द्वारा उसकी शिकायत या समस्या के न निपटाए

जाने से असंतुष्ट है तो उसके पास अपनी शिकायत/समस्या या विवाद को लोकपाल के समक्ष प्रस्तुत करने का विकल्प है। लोकपाल सबसे पहले शिकायतकर्ता और लाइसेंसधारी के बीच समझौता या मध्यस्था के माध्यम से आपकी सहमति द्वारा विवाद को निपटाने का प्रयास करता है लेकिन ऐसा न होने पर संबंधित पार्टियों अर्थात उपभोक्ता और लाइसेंसधारी विभाग के तर्कों के आधार पर विवाद के मामले पर निर्णय लेता है।

लोकपाल के समक्ष अपनी शिकायत जमा करने की विस्तृत प्रक्रिया बनाई गई है और इसे आयोग की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया गया है। इसे व्यापक प्रचार के लिए सीजीआरएफ और लाइसेंसधारियों को भी भेजा गया है।

वर्ष 2018–19 के दौरान, गोवा राज्य एवं चंडीगढ़, पुदुच्चेरी और अंडमान निकोबार द्वीपसमूह संघ राज्य क्षेत्र के विद्युत उपभोक्ताओं द्वारा विद्युत लोकपाल के समक्ष प्रस्तुत की गई 10 अभ्यावेदनों/अपीलों में से सभी 10 अपीलों का निर्धारित समयावधि में निपटान किया गया। इन अभ्यावेदनों की संख्या एवं विषय–वस्तु अनुलग्नक–2 में दी गई है।

4. आयोग का वार्षिक लेखा (अंनतिम)

आयोग को पिछले वित्त वर्ष 2017–18 से संबंधित 178.71 लाख रुपए की बचत के अलावा, वित्त वर्ष 2018–19 के बजट प्राक्कलन में अनुदान सहायता के रूप में 850.00 लाख रुपए आवंटित किए गए थे।

4.1 वर्ष 2018–19 के रिकार्ड के अनुसार आय एवं व्यय विवरण

क्र. सं	विवरण	आय (लाख रुपये)	व्यय (लाख रुपये)
	हाथ में बकाया अग्रेनीत राशि	178.71	
क	**आयः**		
	अनुदानों/ऋणों/राजसहायता द्वारा भारत सरकार से (सहायता अनुदान) निम्नलिखित संस्वीकृति संख्या और तारीख को प्राप्त सहायता अनुदान (I) **47/5/2010–आर एंड आर दिनांक 28 मई, 2018** (II) **47/5/2010–आर एंड आर दिनांक 06 दिसंबर, 2018** (III) **47/5/2010–आर एंड आर दिनांक 07 मार्च, 2019** **कुल** **एफओआर से प्राप्त अंशदान/शुल्क** रायल्टी, प्रकाशन आदि द्वारा बचत खाते पर ब्याज **वितरण लाइसेंसधारी से लोकपाल व्यय की प्रतिपूर्ति** **अन्य –**	 250.00 300.00 180.00 730.00 – 65.83 2.00	
ख	**व्यय :**		
1.	वेतन (आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य)	—	54.15
2.	वेतन (अधिकारी और प्रतिष्ठान)	—	158.05
3.	व्यावसायिकों एवं अन्य सेवाओं के लिए भुगतान		
	(क) व्यावसायिक (ख) अन्य सेवाए (i) कार्मिकों की आउटसोसिंग 69.40 (ii) हाउसकीपिंग कार्य के लिए आउटसोर्सिंग 4.13 (iii) सुरक्षा कार्मिकों की आउटसोर्सिंग 8.34		130.97 81.87
4.	घरेलू यात्रा	—	32.72
5.	विदेशी यात्रा	—	9.82
6.	सीपीएफ*	—	10.80
7.	विद्युत एवं ऊर्जा	—	2.37

8.	किराया दर एवं कर	__	233.91
9.	वाहन (वाहन का किराया)	__	19.17
10.	डाक, टेलीफोन एवं संचार शुल्क	__	3.51
11.	मुद्रण एवं लेखन सामग्री	__	11.75
12.	एफओआर/एफओआईआर आदि को शुल्क	__	10.52
13.	सेमिनार एवं बैठक		16.04
14.	कानूनी शुल्क	__	3.57
15.	विज्ञापन एवं प्रकाशन	__	21.4
16.	अन्यः क) कार्यालय व्यय ख) बैंक प्रभार ग) विविध		 20.45 0.20 --
17.	मशीनरी एवं उपकरण	__	--
18.	फर्नीचर एवं फिक्चर	__	48.31
19.	लोकपाल पर व्यय	__	35.91
	कुल	**976.54**	**905.49**
	शेष राशि	__	**71.05**
	कुल	**976.54**	**976.54**

*** अध्यक्ष एवं सदस्य के संबंध में सीपीएफ**

4.2 विभिन्न संसाधनों से प्राप्तियों का विवरण नीचे दिया गया है:–

I अनुदान सहायता

संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग सहायता अनुदान के रूप में केंद्र सरकार से प्राप्त बजट से वित्त पोषित है। वर्ष 2018–19 के दौरान, आयोग को भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय से 7.30 करोड़ रुपए प्राप्त हुए हैं। मंत्रालय से प्राप्त सहायता अनुदान का उपयोग मुख्य रूप से वेतन और मजदूरी, विभिन्न प्रशासनिक खर्चों और आवश्यक अचल संपत्तियां प्राप्त करने के लिए किया जाता है।

II लाइसेंसधारियों से वार्षिक लाइसेंस शुल्क का एकत्रीकरण

क्रं. सं.	प्राप्ति की तिथि	राज्य/संघ शासित क्षेत्र/अन्य	राशि (रुपये में)
1.	29.05.2018	डीएनएच पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड (वित्त वर्ष 2017–18)	2,26,20,000/-
2.	25.05.2018	विद्युत विभाग, चंडीगढ़ (वित्त वर्ष 2018–19)	96,24,000/-
3.	01.06.2018	विद्युत विभाग, दमन और दीव (वित्तीय वर्ष 2017–18 और वित्तीय वर्ष 2018–19)	1,85,11,000/-
4.	13.06.2018	डीएनएच पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड (वित्त वर्ष 2018–19)	2,54,70,000/-
5.	13.06.2018	विद्युत विभाग, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह (वित्त वर्ष 2017–18 और 2018–19)	47,87,400/-
6.	13.06.2018	विद्युत विभाग, दादरा और नगर हवेली (वित्त वर्ष 2016–17, 2017–18 और 2018–19)	23,64,000/-
7.	27.06.2018	विद्युत विभाग, लक्षद्वीप (वित्त वर्ष 2018–19)	3,92,500/-
8.	24.10.2018	विद्युत विभाग, लक्षद्वीप (वित्तीय वर्ष 2017–18)	2,11,397/-
9.	04.01.2019	विद्युत विभाग, पुडुचेरी (वित्तीय वर्ष 2019–20)	1,51,77,300/-
10.	07.03.2019	विद्युत विभाग, गोवा (वित्तीय वर्ष 2019–20)	1,88,00,000/-
		कुल	**11,79,57,597/-**

(ग्यारह करोड़ उन्यासी लाख सत्तावन हजार पांच सौ सत्तानवे रुपए मात्र)

III वर्ष के दौरान प्राप्त याचिका शुल्क

कुल रु. 3,05,16,000/– (तीन करोड़ पाँच लाख सोलह हजार रुपए मात्र) याचिका/विविध शुल्क के रूप में प्राप्त हुए, जिसमें से वित्त वर्ष 2017–18 में प्राप्त रु.4,00,000/– वित्त वर्ष 2018–19 में याचिकाकर्ता को (याचिका वापस लेने के कारण) लौटाए गए थे। प्राप्त याचिका शुल्क का विवरण अनुबंध–3 में दिया गया है।

5. आरटीआई अधिनियम, 2005 के तहत सूचना का विवरण

श्री राजेश डांगी, निदेशक (इंजीनियरिंग) को आयोग के लोक सूचना अधिकारी के रूप में नामित किया गया। वित्तीय वर्ष के दौरान प्राप्त और निपटाए गए आवेदनों की संख्या निम्नानुसार है:–

प्राप्त आवेदन	06
निपटाए गए आवेदन	06
आवेदन जिसमें सूचना अस्वीकार की गई	शून्य

6. 2019–20 के लिए कार्य–सूची

6.1 वार्षिक राजस्व आवश्यकताएँ और टैरिफ का निर्धारण

आयोग वित्त वर्ष 2018–19 की समायोजन याचिका, वित्त वर्ष 2019–20 की वार्षिक निष्पादन समीक्षा और वित्त वर्ष 2020–21 के लिए अपने अधिकार क्षेत्र के तहत आने वाले सात वितरण लाइसेंसधारियों के टैरिफ निर्धारण पर विचार करेगा और निर्धारित प्रक्रिया का पालन करने के बाद टैरिफ आदेश जारी करेगा।

6.2 उत्पादन और ट्रांसमिशन टैरिफ आदेश

वित्त वर्ष 2020–21 के लिए पुडुचेरी पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के लिए उत्पादन टैरिफ आदेश तथा विद्युत विभाग–दादरा व नगर हवेली के लिए ट्रांसमिशन टैरिफ आदेश तक जारी किए जाने का प्रस्ताव है।

6.3 विनियमों में संशोधन

विनियमों और आवश्यकतानुसार वित्तीय वर्ष के दौरान जारी किए गए संशोधनों की समीक्षा की जाएगी।

6.4 राज्य सलाहकार समिति बैठक

जेईआरसी (राज्य सलाहकार समिति), विनियमन, 2009 के प्रावधानों के अनुसरण में राज्य सलाहकार समिति की नियमित बैठकों की योजना बनाई जा रही है। वित्तीय वर्ष 2019–20 में समिति की दो बैठकें आयोजित की जानी हैं।

अनुबंध–1

सभी संघ राज्य क्षेत्र में सीजीआरएफ का विवरण

क्र. सं.	सीजीआरएफ का नाम	सदस्य का नाम	पदनाम	कार्यालय पता	सम्पर्क नं.	ई–मेल
1	गोवा	1. श्री देशमोंड डी. कोस्टा 2. रिक्त 3. श्रीमती सान्द्रा वेज ई कोरिया	अध्यक्ष सदस्य नामांकित सदस्य	विद्युत भवन, चौथा तल, केटीसी स्टेंड के नजदीक, मुंडवेल, वोस्को डि गामा, गोवा–403802	0832-2501836 09422063637	cgrfgoa@yahoo.com adv.sandracorreia@gmail.com
2	अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	1. श्री के.जी. रविन्द्रन 2. रिक्त 3. श्री बासुदेव दास	अध्यक्ष सदस्य नामांकित सदस्य	सं. ईएल 03 एवं 04, हॉटिकल्चर रोड, हड्डो (पीओ), रोड, हड्डो (पीओ) पोर्ट ब्लेयर – 744102	09434266970 03192-244822 (O) 9679507141	cgrf.and@nic.in andcgrf@rediffmail.com
3	चंडीगढ़	1. श्री आर.के. साही 2. श्री राजेन्द्र सिंह 3. श्री जसविन्दर सिंह सिधु	अध्यक्ष सदस्य नामांकित सदस्य	पुरानी बीएंडआर बिल्डिंग, हरियाणा टैक्स ट्रिब्यूनल के कार्यालय के निकट, सेक्टर 19–बी, चंडीगढ़	9646118108 (0172-2542012) 09872318618	chairpersoncgrf@gmail.com
4	दमन एवं द्वीव	1. रिक्त 2. श्री भारत रतिलाल आईसक्रीमवाला 3. डॉ. हबीब शकुरभाई मनसुरी	अध्यक्ष सदस्य नामांकित सदस्य	पावर हाउस बिल्डिंग, सी फेसिंग रोड, नानी, दमन–395210	9016333415	bricecreamwala@gmail.com
5	दादर एवं नागर हवेली	1. श्री बी.एन. मेहता 2. श्री सुनील इजारी 3. रिक्त	अध्यक्ष नामांकित सदस्य सदस्य	विद्युत विभाग, दादर एवं नागर हवेली, 66केवी स्टेशन, अमली रोड, सिलवासा–396230	09825400184 09824106776	chairperson-cgrf@rediffmail.com
6	लक्षद्वीप	1. श्री के. के. कुन्हीकृष्णन 2 श्रीमती सुनिधि ईस्माइल केआरबी 3. रिक्त	अध्यक्ष नामांकित सदस्य सदस्य	विद्युत सीजीआरएफ, पॉवर हाउस के निकट कावारत्ती, लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्र - 682555	9961848808 9496196167	lk-ktelect@nic.in
7	पुदुच्चेरी	1. श्री के रामासुब्रमणियण 2. श्री ए.एस. जितेन्द्र राव 3. श्री आर. कृष्णामूर्ति	अध्यक्ष सदस्य नामांकित सदस्य	नं. 6, 17वां क्रॉस स्ट्रीट, अन्ना नगर, पुदुच्चेरी–605 005	9961848808 0413-2201351 0413-2201451	cgrfpon@gmail.com

वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान विद्युत लोकपाल द्वारा निपटाए गए अभ्यावेदन/अपील

अनुबंध–2

राज्य/सं. शा. क्षेत्र	प्रस्तुतियों की संख्या	विषय मामला	टिप्पणियां
गोवा	01	1. डिस्कनेक्शन की बिलिंग	1. दाखिल और विभाग के पक्ष में फैसला/आदेश जारी
चंडीगढ़	05	1. बिल विवाद 2. बिल विवाद 3. बिल विवाद 4. बिल विवाद 5. बिजली कनेक्शन	1. दाखिल और विभाग के पक्ष में फैसला/आदेश जारी 2. दाखिल और उपभोक्ता के पक्ष में फैसला/आदेश जारी 3. दाखिल और विभाग के पक्ष में फैसला/आदेश जारी 4. दाखिल और विभाग के पक्ष में फैसला/आदेश जारी 5. दाखिल और विभाग के पक्ष में फैसला/आदेश जारी
पुडूचेरी	03	1. बिल विवाद 2. ट्रांसफार्मर का स्थान परिवर्तन 3. खंभे का स्थान परिवर्तन	6. दाखिल और विभाग के पक्ष में फैसला/आदेश जारी 7. दाखिल और उपभोक्ता के पक्ष में फैसला/आदेश जारी 8. दाखिल और विभाग के पक्ष में फैसला/आदेश जारी
अंडमान–निकोबार द्वीप समूह	01	1. बिजली कनेक्शन	1. दाखिल और विभाग के पक्ष में फैसला/आदेश जारी

वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान प्राप्त याचिका शुल्क

अनुबंध–3

क्रं सं.	प्राप्ति की तिथि	याचिकाकर्ता / बिजली विभाग (ईडी)	याचिका की विषय–वस्तु	राशि (रुपये में)
1.	10.04.2018	वकील रोहितराव	डीएनएचपीडीसीएल के टी.ओ. की प्रमाणित प्रति की आपूर्ति के लिए शुल्क	1450 / –
2.	25.05.2018	ईडी–चंडीगढ़	समीक्षा याचिका दायर करने के लिए शुल्क	2,71,500 / –
3.	15.06.2018	ईडी–चंडीगढ	याचिका दायर करने के लिए शुल्क	5,000 / –
4.	25.07.2018	वकील सविता सिन्हा	डीएनएचपीडीसीएल के टी.ओ. की प्रमाणित प्रति की आपूर्ति के लिए शुल्क	1590 / –
5.	23.08.2018	ईडी–चंडीगढ़	दीर्घकालिक ओए प्रक्रिया के अनुमोदन के लिए शुल्क और एसटीयू / एसएलडीसी की स्थापना के लिए समय बढ़ाने हेतु शुल्क	20,000 / –
6.	04.09.2018	डीएनएचपीडीसीएल	वित्त वर्ष 2019–20 से वित्त वर्ष 2021–22 तक की एमवाईटी नियंत्रण अवधि हेतु व्यवसाय योजना दायर करने हेतु शुल्क	1,00,000 / –
7.	04.09.2018	दमन और दीव	वित्त वर्ष 2019–20 से वित्त वर्ष 2021–22 तक की एमवाईटी नियंत्रण अवधि हेतु व्यवसाय योजना दायर करने हेतु शुल्क	1,00,000 / –
8.	12.09.2018	डीएनएच (ट्रांसमिशन)	वित्त वर्ष 2019–20 से वित्त वर्ष 2021–22 तक की एमवाईटी नियंत्रण अवधि हेतु व्यवसाय योजना दायर करने हेतु शुल्क	1,00,000 / –
9.	14.09.2018	ईडी–चंडीगढ़	वित्त वर्ष 2019–20 से वित्त वर्ष 2021–22 तक की एमवाईटी नियंत्रण अवधि हेतु व्यवसाय योजना दायर करने हेतु शुल्क	1,00,000 / –
10.	31.08.2018	ईडी–पुडुचेरी	वित्त वर्ष 2019–20 से वित्त वर्ष 2021–22 तक की एमवाईटी नियंत्रण अवधि हेतु व्यवसाय योजना दायर करने हेतु शुल्क	1,00,000 / –
11.	31.08.2018	ईडी–लक्षद्वीप	वित्त वर्ष 2019–20 से वित्त वर्ष 2021–22 तक की एमवाईटी नियंत्रण अवधि हेतु व्यवसाय योजना दायर करने हेतु शुल्क	1,00,000 / –
12.	25.09.2018	ईडी–अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	वित्त वर्ष 2019–20 से वित्त वर्ष 2021–22 तक की एमवाईटी नियंत्रण अवधि हेतु व्यवसाय योजना दायर करने हेतु शुल्क	1,00,000 / –
13.	26.09.2018	ईडी–चंडीगढ़	समय बढ़ाने के लिए शुल्क सहित वित्त वर्ष 2017–18 हेतु एआरआर याचिका दायर करने के लिए शुल्क	26,37,360 / –

क्रं सं.	प्राप्ति की तिथि	याचिकाकर्ता / बिजली विभाग (ईडी)	याचिका की विषय–वस्तु	राशि (रुपये में)
14.	04.10.2018	ईडी–गोवा	वित्त वर्ष 2019–20 से वित्त वर्ष 2021–22 तक की एमवाईटी नियंत्रण अवधि हेतु व्यवसाय योजना दायर करने के लिए शुल्क	1,00,000 / –
15.	28.11.2018	पुदुचेरी पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड	वित्त वर्ष 19–20 से वित्त वर्ष 21–22 के लिए 32.5 मेगावाट गैस पॉवर स्टेशन हेतु एआरआर और टैरिफ याचिका दायर करने के लिए शुल्क	15,00,000 / –
16.	02.11.2018	ईडी–चंडीगढ	याचिका दायर करने के लिए शुल्क	20,000 / –
17.	17.11.2018	ईडी–चंडीगढ़	याचिका दायर करने के लिए शुल्क	20,000 / –
18.	27.11.2018	ईडी–पुडुचेरी	वित्त वर्ष 2019–20 से वित्त वर्ष 2021–22 के लिए एमवाईटी एआरआर और टैरिफ याचिका हेतु शुल्क	36,50,000 / –
19	28.11.2018	ईडी–दमन और दीव	वित्त वर्ष 2019–20 से वित्त वर्ष 2021–22 के लिए एमवाईटी एआरआर और टैरिफ याचिका हेतु शुल्क	26,27,160 / –
20.	10.12.2018	ईडी–दादरा और नगर हवेली (ट्रांसमिशन)	वित्त वर्ष 2019–20 से वित्त वर्ष 2021–22 के लिए एमवाईटी एआरआर और टैरिफ याचिका हेतु शुल्क	20,00,000 / –
21.	10.12.2018	डीएनएचपीडीसीएल पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड	वित्त वर्ष 2019–20 से वित्त वर्ष 2021–22 के लिए एमवाईटी एआरआर और टैरिफ याचिका हेतु शुल्क	62,96,880 / –
22.	11.12.2018	ईडी–चंडीगढ	वित्त वर्ष 2019–20 से वित्त वर्ष 2021–22 के लिए एमवाईटी एआरआर और टैरिफ याचिका हेतु शुल्क	26,85,300 / –
23.	24.12.2018	ईडी–गोवा	वित्त वर्ष 2019–20 से वित्त वर्ष 2021–22 के लिए एमवाईटी एआरआर और टैरिफ याचिका हेतु शुल्क	49,79,760 / –
24.	03.01.2019	डीएनएचपीडीसीएल पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड	वित्त वर्ष 2019–20 से वित्त वर्ष 2021–22 के लिए एमवाईटी एआरआर और टैरिफ याचिका हेतु अतिरिक्त शुल्क	10,00,000 / –
25.	14.01.2019	ईडी–लक्षद्वीप	वित्त वर्ष 2019–20 से वित्त वर्ष 2021–22 के लिए एमवाईटी एआरआर और टैरिफ याचिका हेतु शुल्क	10,00,000 / –
26.	26.02.2019	ईडी–अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	वित्त वर्ष 2019–20 से वित्त वर्ष 2021–22 के लिए एमवाईटी एआरआर और टैरिफ याचिका हेतु शुल्क	10,00,000 / –
			कुल	**3,05,16,000 / –**

31.03.2019 तक अधिसूचित विनियमों की सूची

अनुबंध–4

क्र. सं.	अधिसूचना	विनियम शीर्षक	अधिसूचना की तारीख
1.	जेईआरसी–01/2009	(व्यवसाय का संचालन) विनियम–2009 · #महला संशोधन विनियम–2013 · #दूसरा संशोधन विनियम–2013 · #तीसरा संशोधन विनियम–2014 · #चौथा संशोधन विनियम–2015	30.07.2009 · #30.04.2013 · #11.10.2013 · #15.05.2014 · #11.02.2015
2.	जेईआरसी–02/2009	अधिकारी और कर्मचारी की भर्ती, नियंत्रण और सेवा शर्तें विनियम–2009	30.07.2009
3.	जेईआरसी–03/2009 की नियुक्ति और कार्य	लोकपाल विनियम–2009 · #महला संशोधन विनियम–2013 · #दूसरा संशोधन विनियम–2015 · #तीसरा संशोधन विनियम–2017	31.07.2009 · #04.04.2013 · #01.01.2015 · #12.06.2017
4.	जेईआरसी–04/2009	उपभोक्ता विनियम–2009 की शिकायतों के निवारण के लिए फोरम की स्थापना · #महला संशोधन विनियम–2013 · #दूसरा संशोधन विनियम–2015	31.07.2009 · #25.03.2013 · #30.01.2015
5.	जेईआरसी–05/2009	(ट्रांसमिशन लाइसेंस और वितरण लाइसेंस के अन्य व्यवसाय आचरण) · #महला संशोधन विनियम–2016	18.12.2009 · #19.10.2016
6.	जेईआरसी–06/2009	निष्पादन मानक विनियम–2009 (निरस्त)	18.12.2009
7.	जेईआरसी–07/2009	राज्य सलाहकार समिति विनियम–2009 · #महला संशोधन विनियम–2015	18.12.2009 · #21.01.2015
8.	जेईआरसी–08/2009	परामर्शदाता नियुक्ति विनियम–2009	11.02.2010
9.	जेईआरसी–09/2009	ट्रांसमिशन और वितरण ओपन एक्सेस विनियम–2009	11.02.2010
10.	जेईआरसी–10/2009	टैरिफ निर्धारण निबंधन एवं शर्तें विनियम–2009 (निरस्त)	08.02.2010
11.	जेईआरसी–11/2010	बिजली आपूर्ति संहिता विनियम–2010 (निरस्त)	20.05.2010
12.	जेईआरसी–12/2010	राज्य ग्रिड संहिता विनियम–2010	07.08.2010
13.	जेईआरसी–13/2010	विद्युत व्यापार विनियम–2010	31.08.2010

क्र. सं	अधिसूचना	विनियम शीर्षक	अधिसूचना की तारीख
14.	जेईआरसी–14/2010	नवीकरणीय ऊर्जा प्रापण विनियम–2010 ·#पहला संशोधन विनियम–2014 ·#दूसरा संशोधन विनियम–2015 ·#तीसरा संशोधन विनियम–2016	30.11.2010 ·#19.02.2014 ·#22.12.2015 ·#22.08.2016
15.	जेईआरसी–15/2010	वितरण कोड विनियम–2010	11.08.2010
16.	जेईआरसी–16/2013	अपील प्राधिकारी के समक्ष अपील दायर करने की प्रक्रिया विनियम–2013	29.04.2013
17.	जेईआरसी–17/2014	मांग पक्ष प्रबंधन विनियम–2014	24.06.2014
18.	जेईआरसी–18/2014	बहु वर्षीय वितरण टैरिफ विनियम–2014 (निरस्त)	30.06.2014
19	जेईआरसी–19/2015	सौर ऊर्जा – ग्रिड संबद्ध ग्राउंड माउंटेड और सोलर रूफटॉप एवं मीटरिंग विनियम–2015	15.05.2015
20.	जेईआरसी–20/2015	वितरण लाइसेंसधारियों के लिए निष्पादन मानक विनियम–2015	24.07.2015
21.	जेईआरसी–21/2017	अंतर–राज्य ट्रांसमिशन और वितरण में कनेक्टिविटी और ओपन एक्सेस विनियम–2017	14.03.2018
22.	जेईआरसी–22/2018	(उत्पादन, ट्रांसमिशन और वितरण बहु वर्षीय टैरिफ) विनियम, 2018	10.08.2018
23.	जेईआरसी–23/2018	विद्युत आपूर्ति संहिता विनियम–2018	26.11.2018

JOINT ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION

(FOR THE STATE OF GOA & UNION TERRITORIES)

11th ANNUAL REPORT

for the Financial Year

2018-19

(Under Section 105 of the Electricity Act, 2003)

Joint Electricity Regulatory Commission

(For the State of Goa and Union Territories)

3rd & 4th Floor, Plot No.55-56 Sector-18,

Udyog Vihar Phase-IV, Gurugram-122015 (Haryana)

Website: www.jercuts.gov.in

E-mail: secy.jercuts@gov.in

Contents

Sl. No.	Contents	Page Nos.
	From the Desk of the Chairman	**3**
	1. Organizational Setup of the Commission	
1.1	Introduction	4
1.2	Profile of Members of the Commission	5-6
1.3	Office of the Commission	7
1.4	Organization Chart	8
	2. Role of the Commission under the Electricity Act, 2003	
2.1	The Preamble to the Act	9
2.2	The Functions mandated to the Commission	9-10
	3. ACTIVITIES OF THE COMMISSION	
3.1	Regulations	11
3.2	Approval of Multi Year Business Plan	12
3.3	ARR and Tariff determination for the FY 2019-20	13
3.4	Important parameters of the electricity utilities under jurisdiction of JERC	14
3.5	State Advisory Committee Meetings	15
3.6	Status of Petitions	16
3.7	Adjudication of Disputes and Differences	17-18
	4. Annual Accounts	19-21
	5. Information under the Right to Information Act, 2005	21
	6. AGENDA FOR 2018-19	22
	Annexures	23-28

FROM THE DESK OF THE CHAIRMAN

It gives me great pleasure to present the eleventh Annual Report of the Joint Electricity Regulatory Commission (for the State of Goa and Union Territories) for the financial year 2018-19. This Annual Report is prepared in compliance to the provisions of Section 105 of the Electricity Act, 2003, and contains a summary of the activities carried out by the Commission along with glimpse of annual accounts for the financial year 2018-19; and also, the activities planned for the ensuing financial year 2019-20.

This year was significant for the Commission from many perspectives. During the year, the Commission took several initiatives in order to maintain the regulatory certainty and consistency amongst all stakeholders by amendments in its Regulations namely Electricity Supply Code, Multi-Year Generation, Transmission and Distribution Tariff Regulations based on its experience and detailed analysis, interaction and consultation with utilities and consumers. The Commission also monitors the performance of Discoms against the target set in the Standard of Performance Regulations through Suo-moto petition.

The Commission has always been proactive in facilitating growth of renewable energy sector and its effective and balanced integration with the grid. In this direction, the Commission is in the process of notifying Regulations on Tariff determination specifically from Renewable Energy Sources.

During the year 2018-19, the Commission issued on time the Tariff Orders in respect of one Transmission Licensee i.e. Electricity Department-Dadra and Nagar Haveli; seven Distribution Licensees/Electricity Departments namely Andaman and Nicobar Islands, Lakshadweep, Chandigarh, Puducherry, Daman & Diu, DNH Power Distribution Corporation Limited and Goa and one generation company i.e. Puducherry Power Corporation Limited for the financial year 2019-20. The Annual Performance Review of most of the licensees for the FY 2018-19 was also carried out.

The consumer's interest has always been a priority for the Commission. The Commission has taken all necessary steps to redress the grievances of electricity consumers through Independent Ombudsman and Consumer Grievance Redressal Forums in timely manner. To create a healthy & conducive atmosphere in electricity sector, the Commission follows the consultative process, frequent interactions on various issues with the representatives of consumer organizations, industry associations, power sector experts and utilities through the Public Hearings and meetings of State Advisory Committee.

With an aim to enhance the efficiency, professionalism and to acquaint with various new and emerging issues in electricity sector, the officers and staff of the Commission are being sent continuously to attend training & workshops. In the same manner, the Commission also encourages utilities to impart capacity building and skill development Programme for its staff.

Lastly, I congratulate and sincerely thank consumers and consumer organizations, Members of the State Advisory Committee and other stakeholders for their valuable suggestions which helped the Commission in determination of a rational, balanced Tariff Orders and for other regulatory activities. With this note, I present the 11th Annual Report of the Commission for FY 2018-19.

M.K. Goel
Chairperson

ORGANIZATIONAL SET-UP OF THE COMMISSION

1.1 Introduction

In exercise of the powers conferred by Section 83 of the Electricity Act, 2003, the Central Government constituted a two member (including Chairperson) Joint Electricity Regulatory Commission for all Union Territories except Delhi to be known as 'Joint Electricity Regulatory Commission for Union Territories' with Headquarters at Delhi, as notified vide notification no. 23/52/2003 – R&R dated 2nd May, 2005. Later, with the joining of the State of Goa, the Commission came to be known as the 'Joint Electricity Regulatory Commission for the State of Goa and Union Territories' as notified vide notification no. 23/52/2003 – R&R (Vol. II) on 30th May, 2008. The Joint Electricity Regulatory Commission for the State of Goa and Union Territories started functioning with effect from August 2008. The office of the Commission is presently located in a rented building in the district town of Gurugram, Haryana.

During the year the Commission has endeavored to set up a fair, transparent and objective regulatory process in the State of Goa and Union Territories. The Eleventh Annual Report of the Commission presents the activities of the Commission during the Financial Year 2018-19.

The Commission, for the purpose of any inquiry or proceedings under the Electricity Act, 2003 has the same powers as are vested in a Civil Court under the Code of Civil Procedure, 1908 in respect of the matters listed under sub-section (1) of Section 94 of the Act.

All proceedings before the Commission are deemed to be judicial proceedings within the meaning of Sections 193 and 228 of the Indian Penal Code and the Commission is deemed to be a Civil Court for the purposes of Sections 345 and 346 of the Code of Criminal Procedure, 1973. The Commission has the sole jurisdiction to adjudicate or nominate arbitrator(s) to arbitrate and resolve all disputes arising between generating companies and the licensees.

1.2 Profile of Members of the Commission

Shri M. K. Goel
Chairperson

Shri M.K.Goel took over as Chairperson, Joint Electricity Regulatory Commission (JERC) for the State of Goa and UTs on 17th February, 2017.

Shri Goel, an Electrical Engineer from Kanpur University has over 37 years of varied Power Sector experience. Before joining JERC, he has been heading Power Finance Corporation, a navaratna PSU and the largest NBFC in the country as Chairman and Managing Director. He has close to 28 years of Power Financing experience in PFC, and 9 years of Power Generation experience in NHPC before joining PFC in 1988. He has more than 9 years of Board level experience in PFC.

Under his leadership as CMD, PFC, despite challenging times, PFC has shown continued business growth with enhanced financial and operational performance. As a result, PFC ranked the largest NBFC in the country based on net worth (all reserves) as on 31.03.2016 and 5thhighest profit making PSU as per DPE survey, 2016. He also ensured achievement of all the MoU targets set by the Government of India for FY 2013-14 and FY 2014-15, entitling PFC to the highest MoU score of 1.00 consecutively for 2 years during his tenure as CMD.

He also steered various power sector reform programmes by spearheading GoI initiatives, which included Integrated Power Development Scheme (IPDS), UDAY, 24X7 Power For All etc. He was also instrumental in implementation of other GoI initiatives like UMPPs, ITPs, review of UMPP bidding documents etc.

He immensely contributed to the development of the power sector and the financial industry as a key member in various Committees related to policy and regulatory areas such as (1)) 'Central Advisory Committee' (CAC) to advise CERC on policy issues, (2) 'Fund requirement' for National Electricity Plan constituted by CEA, (3) 'High Level Committee on Financing Infrastructure' to take up financing issues with RBI for regulatory changes etc.

Smt. Neerja Mathur
Member

Smt. Neerja Mathur assumed the charge of Member, Joint Electricity Regulatory Commission (for the State of Goa & Union Territories) w.e.f. 26.08.2015. Earlier, Smt. Neerja Mathur held office as the Chairperson of Central Electricity Authority (CEA) from 01.11.2013 to 31.12.2014. An officer of the CPES cadre, Smt. Neerja Mathur had joined the CEA in July 1979 as Assistant Director through UPSC and has acquired versatile experience of about 34 years in the development of power sector over the period of her wide and varied work experience in various capacities in the CEA. Smt. Neerja Mathur is a technical professional from the stream of Electronics & Communication Engineering with a Graduate Degree from IIT, Roorkee and M. Tech. Degree from IIT, Delhi.

With an initial stint in the area of power system protection and instrumentation and appraisal of transmission schemes, Smt. Neerja Mathur had worked extensively in the area of Planning, Load Despatch and Telecom facilities in the Power Sector. During her tenure as Director and Chief Engineer in the Integrated Resource Planning Division, Smt. Neerja Mathur was associated with both short term and long-term Generation Planning & Load Forecasting. She has been proactively involved in framing the National Electricity Plan and Working Group Reports for the five years plan periods for the integrated resource planning in the country. She was instrumental in the preparation of National Electricity Plan brought out in April 2007 covering 11th Plan in detail and perspective for 12th & 13th Plans. Smt. Mathur has also guided the formulation of the subsequent National Electricity Plan which is under publication covering 12th Plan in detail and perspective for 13th & 14th Plans. As Chief Engineer of Operation Monitoring Division, she was entrusted with fuel monitoring of power stations in the country and to address the issues related to availability of fuel.

Smt. Neerja Mathur took over as Member (Grid Operation & Distribution), CEA & Ex-officio Additional Secretary to the Government of India w.e.f. 1st March 2013 with responsibility of grid management, distribution system functionality and operational performance of generating units. In her tenure as Chairperson, CEA since 1st November 2013, Smt. Neerja Mathur was involved in the overall planning and coordination of all the facets of power sector of the country in its entirety. The thrust has been to facilitate the generation capacity addition and commensurate development of transmission system with strengthening of distribution network as well.

As part of responsibilities attached to the post of Chairperson, CEA, Smt. Neerja Mathur was associated in important matters of Central Electricity Regulatory Commission (CERC) as Ex-officio Member of CERC. By virtue of her professional expertise, she has held Chairmanship/Membership of the important Committees/Groups associated with Power Sector.

1.3 Office Of The Commission

The Commission is functioning through rented premises located at Plot No.55-56, 3rd & 4th Floor, Udyog Vihar-IV, Sector-18, Gurugram, Haryana. The Commission has its own website (www.jercuts.gov.in), which is redesigned and regularly maintained and updated by its Secretariat. The website is used for informing hearing schedules, news, updates, inviting comments on concept papers, Regulations, Petitions and uploading of notified Regulations, Orders of the Commission etc. It also provides information on Consumer Grievances Redressal Forums and Ombudsman and guides consumers for redressal of their grievances.

Hearing at Court Room of JERC

1.5 Organization Chart

The Organization Chart based on the sanctioned and operating staff strength is depicted below

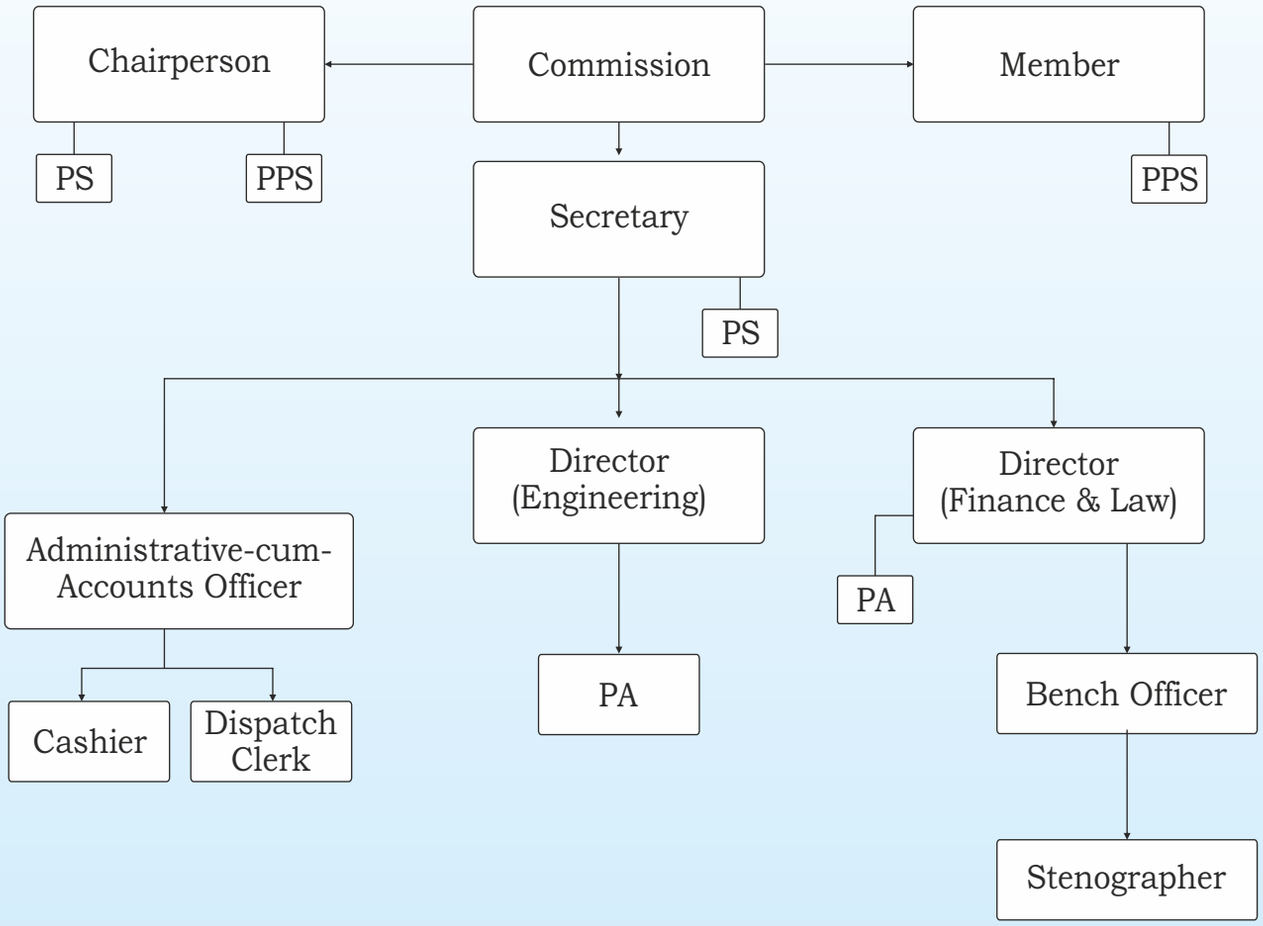

2. ROLE OF THE COMMISSION UNDER THE ELECTRICITY ACT, 2003

2.1 The Preamble to the Act

The Electricity Act, 2003 aims to consolidate the laws relating to generation, transmission, distribution, trading and use of electricity and generally for taking measures conducive to development of electricity industry, promoting competition therein, protecting interest of consumers and supply of electricity to all areas, rationalization of electricity tariff etc.

2.2 The Functions mandated to the Commission

According to the Electricity Act, 2003, the JERC is committed to create an efficient and economically viable electricity system in the State of Goa and the Union Territories, balancing the interests of all stakeholders while fulfilling its primary responsibility to ensure reliable supply of power at affordable rates and is guided by the principles of transparency, accountability, equitability and participation in discharge of its functions, to safeguard the interests of the licensees and generating companies in the State of Goa and the Union Territories and to give a fair deal to consumers at the same time. To achieve the above, the Commission is mandated to carry out the following functions u/s 86(1) of the Electricity Act, 2003-

a) determine the tariff for generation, supply, transmission and wheeling of electricity, wholesale, bulk or retail, as the case may be, within the State:

   Provided that where open access has been permitted to a category of consumers under section 42, the State Commission shall determine only the wheeling charges and surcharge thereon, if any, for the said category of consumers;

b) regulate electricity purchase and procurement process of distribution licensees including the price at which electricity shall be procured from the generating companies or licensees or from other sources through agreements for purchase of power for distribution and supply within the State;

c) facilitate intra-state transmission and wheeling of electricity;

d) issue licenses to persons seeking to act as transmission licensees, distribution licensees and electricity traders with respect to their operations within the State/ Union Territories;

e) promote cogeneration and generation of electricity from renewable sources of energy by providing suitable measures for connectivity with the grid and sale of electricity to any person, and also specify, for purchase of electricity from such sources, a percentage of the total consumption of electricity in the area of a distribution licensee;

f) adjudicate upon the disputes between the licensees, and generating companies and to refer any dispute for arbitration;

g) levy fee for the purposes specified under this Act;

b) specify State Grid Code consistent with the Indian Electricity Grid Code (IEGC) specified by Central Electricity regulatory Commission;
c) specify or enforce standards with respect to quality, continuity and reliability of service by licensees;
d) fix the trading margin in the intra-State trading of electricity, if considered, necessary;
e) discharge such other functions as may be assigned to it under this Act.

As per Section 86(2) of the Act, the Commission shall advise the State/ Union Territory Government on all or any of the following matters, namely: -

i) promotion of competition, efficiency and economy in activities of the electricity industry;

ii) promotion of investment in electricity industry;

iii) reorganization and restructuring of electricity industry in the State/ UTs matters concerning generation, transmission, distribution and trading of electricity or any other matter referred to the Joint Commission by the Government

In terms of Section 86(3), the Commission shall ensure transparency while exercising its powers and discharging its functions; and, as per section 86(4), in discharge of its functions the Commission is guided by the Electricity Act, 2003, the National Electricity Policy, National Electricity Plan and Tariff Policy.

A picture during Public Hearing on determination of tariff at Goa

3. ACTIVITIES OF THE COMMISSION

3.1. Regulations

1. During the Year 2018-19, the following Regulations were notified:

(i) Joint Electricity Regulatory Commission (Generation, Transmission and Distribution Multi Year Tariff) Regulations, 2018.

(ii) Joint Electricity Regulatory Commission (Electricity Supply Code) Regulations,2018.

2. Following Regulations were amended: -

(a) Joint Electricity Regulatory Commission (Electricity Supply Code) First amendment Regulations,2019

3. Following Draft Regulations have been brought in public domain but have not been finalized in the year 2018-19 and will be finalized in the year 2019-20:-

(a) Joint Electricity Regulatory Commission (Terms and Conditions for Tariff determination from Renewable Energy Sources) Regulations, 2019

(b) Joint Electricity Regulatory Commission (Solar PV Grid Interactive System based on Net Metering) Regulations, 2019

(c) Joint Electricity Regulatory Commission (Consumer Grievances Redressal Forum and Ombudsman) Regulations, 2019

List of Regulations issued by Commission till 31.03.2019 is attached at Annexure-IV.

3.2 Approval of Multi Year Business Plan for the 2nd Control Year FY 2019-20 to FY 2021-22

As per Joint Electricity Regulatory Commission (Generation, Transmission and Distribution Multi Year Tariff) Regulations,2018, each distribution and transmission licensee is required to file Business Plan containing Capital Investment Plan, Capital Structure, Performance Targets, Sales Forecast, Power Procurement Plan and other proposals etc. for three years control period from FY 2019-20 to FY 2021-22 with details of each year of the control period before the Commission.

All the distribution and transmission utilities have filed their Business Plan petitions and the Commission issued Business Plan Orders for the following distribution and transmission utilities: -

S.No.	Name of the utilities	Date of Admission of Business Plan petition	Date of Order for approval of Business Plan Petition
1.	Electricity Department-Andaman & Nicobar Islands	18.09.2018	31.12.2018
2.	Electricity Department-Lakshadweep	04.09.2018	21.12.2018
3.	Electricity Department-Goa	01.10.2018	16.11.2018
4.	Electricity Department-Dadra & Nagar Haveli (Transmission Division)	07.09.2018	16.11.2018
5.	Electricity Department-Chandigarh	06.09.2018	12.11.2018
6.	DNH Power Distribution Corporation Limited	04.09.2018	05.11.2018
7.	Electricity Department-Daman & Diu	04.09.2018	31.10.2018
8.	Electricity Department-Puducherry	04.09.2018	31.10.2018

3.3 Determination of Tariff and Annual Revenue Requirement for FY 2019-20

During the year, the Commission issued Tariff Orders comprising truing up for previous years, Annual Performance Review for FY 2018-19 and revision of Annual Revenue Requirement (ARR) and determination of tariff for the generation, transmission and distribution utilities under its jurisdiction for FY 2019-20.

All the Tariff Orders of the Utilities were issued within the scheduled time and they have been well implemented by all the Departments.

Public Hearing on determination of tariff on 25.09.2018 at Silvassa

3.4 Important parameters of the electricity utilities under jurisdiction of JERC:

FY 2018-19

UTILITIES

S. No.	Particulars	Lakshadweep	Andaman & Nicobar Islands	Chandigarh	Daman & Diu	Puducherry	Goa	Dadra & Nagar Haveli
1.	No. of Consumers	25,106	1,36,684	2,30,522	62,631	5,02,636	6,20,847	75,966
2.	Connected Load (in kW/kVA)	88,313	2,58,169	16,19,619	8,84,765	4,68,039	24,80,929	14,47,233
3.	Energy Sales (MUs)	67.50	278.87	1598.27	2488.38	2606.31	3,644.93	6032
4.	Revenue Realised from revised tariff (Rs. Crs)	39.25	171.55	878.50	987.72	1367.89	1,634.92	2,620.32
5.	Revenue from Open Access Charges/ FPPCA charges* (Rs. Cr.)	0.00	0	21.8	0.00	11.57	0.00	103.11
6.	Average cost of supply (ACos) (Rs/kwh)	19.71	18.01	5.17	4.22	5.27	5.36	4.85
7.	Average Tariff (Rs/kwh)	5.62	6.15	5.50	3.97	5.26	4.49	4.34
8.	Aggregate Revenue Requirement (Rs. Crs)	133.04	502.25	827.09	1171.70	1374.75	1,952.54	2,928.88
9.	Net (Gap)/ Surplus (Rs. cr) for the year	93.79	330.70	117.14	183.98	152.47	0.00	48.72
10.	T&D Loss (%)	12.25%	15.50%	12.25%	8.30%	11.00:	10.75:	4.70:
11.	Regional Transmission Loss (%)	N.A.	N.A.	3.6%	3.66%	2.15%	3.66%	3.69%
12.	Average Tariff as percentage of ACoS (%)	29.50	34.15%	106.38%	94.07%	99.8%	83.76%	89.57%
13.	Domestic as % ACoS	25.41	20.54%	88.39%	43.36%	52.7%	50.74%	43.09%
14.	Commercial as % of ACoS	43.96	45.31%	124.18%	75.82%	127.3%	102.23%	70.09%
15.	Industrial as % of ACoS	63.41	36.20%	116.25%	175.35%	121.4%	95.14%	90.91%
16.	Agriculture as % of ACoS	N.A.	8.88%	56.09%	15.63%	9.8%	32.65%	15.26%
17.	Domestic Revenue as % of Total Revenue	67.95	32.45%	39.07%	2.50%	15.9%	16.65%	1.03%
18.	Commercial Revenue as % of Total Revenue	6.85	18.60%	37.75%	1.74%	15.63%	13.56%	0.46%
19.	Industrial Revenue as % of Total Revenue	0.76	7.20%	17.63%	95.24%	59.91%	66.26%	98.34%
20.	Agriculture Revenue as % of Total Revenue	N.A.	0.08%	0.043%	0.033%	0.21%	0.32%	0.02%

3.5 State Advisory Committee Meetings

JERC, in terms of Section 87 of the Electricity Act 2003, has constituted a State Advisory Committee to represent the interest of commerce, industry, transport, agriculture, consumers, Non-Government Organizations, education and research. The Commission meets regularly to deliberate on issues regarding:

i. Major questions of policy;
ii. Matters relating to quality, continuity and extent of service provided by the licensees;
iii. Compliance by licensees with the conditions and requirements of their license;
iv. Protection of consumer interests;
v. Electricity supply and overall standards of performance by utilities.

The Commission organized one SAC meeting (being 14th meeting) during the year on 21.02.2019 at Andaman & Nicobar Islands, Port Blair.

A picture during Public Hearing on determination of tariff at Puducherry on 22.01.2019

3.6 Status of Petitions during the FY 2018-19

Petitions as on 1.04.2018	2
Petitions received during the FY 2018-19	27
Total Petitions in FY 2018-19	29
Petitions disposed of during the FY 2018-19	27
Petitions as on 31.03.2019	2

The details of the Petitions pending as on 31.03.2019 are as under: -

1. The Commission on its own accord took up a Suo-motu Petition in the area of the Metering and Billing Status of the Utilities, which assumes immense importance from the point of view of the licensees as well as consumers/stakeholders. This is a continuing Petition till full compliance of metering and billing directions is achieved by the Licensees.

2. The Commission through a Suo-moto Petition is also monitoring the compliance of Renewable Purchase Obligations by the licensees and Open Access users for the territories under the jurisdiction of the Commission.

3.7 Adjudication of Disputes and Differences

The Preamble to the Electricity Act, 2003 makes specific mention of protecting the interest of consumers. Further, Section 42(5) of the Act provides for establishment of a Forum for Redressal of Grievances of Consumers by every distribution licensee, in accordance with the guidelines as may be specified by the Commission. Further, Sub-section (6) of Section 42 of the Act, provides for the establishment of an authority known as Ombudsman to be appointed or designated by the Commission. Any consumer of electricity who is aggrieved by non- redressal of his/ her grievance under Sub- section (5) can make a representation for redressal of his grievance to the Ombudsman.

The Joint Electricity Regulatory Commission (JERC) for Goa and UTs, has notified the regulations known as “JERC (Establishment of Forum for Redressal of Grievances of Consumers) Regulations, 2009” read with its amendments and “JERC (Appointment and Functioning of Ombudsman) Regulations, 2009” read with its amendments. These are applicable in the State of Goa and UTs of Andaman & Nicobar Islands, Chandigarh, Dadra & Nagar Haveli, Daman & Diu, Lakshadweep and Puducherry. They provide the procedures and guidelines to be followed in redressal of consumers’ grievances. These Regulations are available on the website of the Commission.

- **Establishment of CGRFs**

  Consumer Grievances Redressal Forums (CGRFs) established by Distribution Licensees/ Electricity Departments in the State of Goa and UTs for redressal of grievances of electricity consumers, are currently functional in all the territories, the details of which are given in Annexure-1.

  Each CGRF has the jurisdiction to entertain the complaints/grievances of consumers with respect to electricity services provided by its distribution licensee/ Electricity Department, except those arising under Section 126 and 127 (unauthorized use of electricity), Section 135 to 139 (theft of electricity and offences and penalties thereof), and Section 161 (notice of accident etc) under the Electricity Act, 2003.

  Model procedures for filing the complaints by consumers have been made available to all CGRFs and are also available on the JERC website. CGRFs have been advised to create awareness among consumers about the procedures for redressal of grievances as laid down by them and give wide publicity to the same by way of display on notice board at various bill collection centers and sub- divisional/ divisional offices of the licensees, as well as on their websites. It has been advised that copies of the model procedures shall also be kept ready in the offices of CGRFs and licensees so that consumers of electricity, if they wish so,for their information or knowledge, can collect it without any hindrance.

Grievances settled by CGRFs during the year 2018-19

Jurisdiction of CGRF / Disposal of Grievances by CGRF	Goa	Chandi -garh	A& N Islands-	Lakshad weep	Daman & Diu	Pudu -cherry	Dadra & Nagar Haveli
No. of grievances outstanding at the close of previous year	06	25	01	01	0	10	05
No. of grievances received during the year	22	209	14	15	9	63	29
No. of grievance disposed during the year	16	215	11	15	0	59	33
No. of grievances pending at the close of the year	12	19	04	01	9	14	01
No. of grievances pending which are older than two months	8	0	1	1	9	8	01
No. of sittings of CGRF in the year	24	53	216	50	0	229*	15

* Inclusive of 11 camp sittings

Electricity Ombudsman

The Commission has appointed an Electricity Ombudsman, a Statutory Authority for the State of Goa and UTs having jurisdiction in the State of Goa and UTs of Andaman & Nicobar Islands, Chandigarh, Dadra and Nagar Haveli, Daman & Diu, Lakshadweep and Puducherry. Any consumer aggrieved by non- redressal of his complaint or grievance by CGRF has the option to make a representation for redressal of his/ her grievance or dispute to the Ombudsman.

The Ombudsman, in the first instance, endeavors to settle the dispute by mutual agreement between the complainant and the licensee through reconciliation or mediation, failing which it decides the matter in dispute based on the pleadings of the parties concerned i.e., the consumer and the licensee department.

Detailed procedure for submitting a representation to the Ombudsman has been laid down and displayed on the website of the Commission. This has also been sent to CGRFs and licensees for giving wide publicity.

During the year 2018-19, out of 10 representations/appeals filed before the Electricity Ombudsman by the electricity consumers in the State of Goa and UTs of Chandigarh, Puducherry and Andaman & Nicobar Islands including 1 pending appeal, all 10 appeals were disposed off within stipulated time. The number and subject matter of these representations are given in Annexure-2.

4 ANNUAL ACCOUNTS OF THE COMMISSION (Provisional)

The Commission was allocated a budget of Rs. 850.00 lakhs in BE for the FY 2018-19 as grant-in-aid, besides savings of Rs. 178.71 lakhs pertaining to the previous FY 2017-18.

4.1 Statement of Income and Expenditure for the Year 2018-19 as per the records

Sl. No.	Particulars	Income (Rs. Lakhs)	Expenditure (Rs. Lakhs)
	Balance in hand B/F	73.47	
A	Income:		
	By grants/Loans/Subsidies		
	From Govt. of India (Grant-in-aid)		
	Grant-in-aid received vide sanction no. & dated		
	I. 47/5/2010-R&Rdt. 28th May, 2018	250.00	—
	II. 47/5/2010-R&R dt. 6th Dec. 2018	300.00	—
	III. 47/5/2010-R&R dt. 7th Macrch,2019	180.00	—
	Total	**730.00**	
	Contribution/subscription received from FOR		
	By Royalty, Publications etc.	—	
	Interest on Saving Account	—	
	Reimbursement of Ombudsman expenditure from distribution licensees	65.83	
	Others -	2.00	
B	**Expenditure:**		
1.	Salaries (Chairman & Member of the Commission)	—	54.15
2.	Salaries (Officers and Establishments)	—	158.05
3.	Payments for Professionals and Others Services.		
	(a) Professional	—	130.97
	(b) Other Services	—	81.87
	(i) Outsourcing of personnel 69.40	—	—
	(ii) Outsourcing for Housekeeping job 4.13	—	—
	(iii) Outsourcing for security personnel 8.34	—	—
4.	Domestic Travel	—	32.72
5.	Foreign Travel	—	9.82

6.	CPF*	-	10.80
7.	Electricity & Power	__	2.37
8.	Rent Rate & Taxes	__	233.91
9.	Vehicles (Hiring of Vehicles)	__	19.17
10.	Postage, Telephones& Communication Charges.	__	3.51
11.	Printing and stationery	__	11.75
12.	Subscription to FOR/ FOIR etc.	__	10.52
13.	Seminar and Conferences		16.04
14.	Legal Fee	__	3.57
15.	Advertising & Publication	__	21.4
16.	Others : a) Office Expenses b) Bank Charges c) Miscellaneous -----	 __	 20.45 0.20
17.	Machinery & Equipment	__	-
18.	Furniture & Fixture	__	48.31
19.	Expenditure on Ombudsman	__	35.91
	TOTAL	**976.54**	**905.49**
	Balance	__	**71.05**
	Total	**976.54**	**976.54**

*CPF in respect of Chairperson and Member

4.2 Details of receipts from various resources are as below: -

(i). Grants-in-Aid

The Joint Electricity Regulatory Commission is funded by budgetary support of the Central Government by way of Grants-in-Aid. During the year 2018-19, the Commission has received Rs 7.30 Crores from Ministry of Power, Government of India. The Grand-in-Aid received from the Ministry is utilized mainly for salary and wages, various administrative expenses and for acquiring essential fixed assets.

(ii). Collection of Annual License Fee from licensees:

S.No.	Date of Receipt	State/UT/Other	Amount (In rupees)
1.	29.05.2018	DNH Power Distribution Corporation Limited (FY 2017-18)	2,26,20,000/-
2.	25.05.2018	Electricity Department, Chandigarh (FY 2018-19)	96,24,000/-
3.	01.06.2018	Electricity Department, Daman & Diu (FY 2017-18 & FY 2018-19)	1,85,11,000/-
4.	13.06.2018	DNH Power Distribution Corporation Limited (FY 2018-19)	2,54,70,000/-
5.	13.06.2018	Electricity Department, Andaman & Nicobar Islands (FY 2017-18 & 2018-19)	47,87,400/-
6.	13.06.2018	Electricity Department, Dadra & Nagar Haveli (FY 2016-17, 2017-18 and 2018-19)	23,64,000/-
7.	27.06.2018	Electricity Department, Lakshadweep (FY 2018-19)	3,92,500/-
8.	24.10.2018	Electricity Department, Lakshadweep (FY 2017-18)	2,11,397/-
9.	04.01.2019	Electricity Department, Puducherry (FY 2019-20)	1,51,77,300/-
10.	07.03.2019	Electricity Department, Goa (FY 2019-20)	1,88,00,000/-
		Total	**11,79,57,597/-**

(Rs. Eleven Crores Seventy-Nine Lakh Fifty-Seven Thousand Five Hundred and Ninety-Seven only)

(iii). Petition fee received during the year

A total of Rs. 3,05,16,000/- (Rupees Three Crores Five Lakh Sixteen Thousand only) was received as Petition/Miscellaneous fee, out of which an amount of Rs. 4,00,000/- received in FY 2017-18 was returned to the petitioner (due to withdrawal of the petition) in FY 2018-19. The details of petition fee received are given in Annexure-3.

5. DETAILS OF INFORMATION UNDER THE RTI ACT, 2005

Shri Rajesh Dangi, Director (Engineering) was designated as the Public Information Officer of the Commission. The number of applications received and disposed off during the financial year is as under: -

Applications Received	06
Applications disposed off	06
Applications wherein information denied	Ni

6. AGENDA FOR 2019-20

6.1 Annual Revenue Requirements and determination of tariff

The Commission shall take up the Petitions for True ups for FY 2018-19, Annual Performance Review of FY 2019-20 and determination of tariff for FY 2020-21 for the seven distribution licensees under its jurisdiction and issue the Tariff Orders after following the laid down procedure.

6.2 Generation & Transmission Tariff Orders

The Generation Tariff Order for Puducherry Power Corporation Limited and Transmission Tariff Order for Electricity Department-Dadra & Nagar Haveli are proposed to be issued for the FY 2020-21.

6.3 Amendment in Regulations

The Regulations will be reviewed and amendments issued during the financial year, as per requirement.

6.4 State Advisory Committee Meetings

Meetings of the State Advisory Committee are being planned in terms of provisions of JERC (State Advisory Committee), Regulation 2009. Two meetings of the Committee are scheduled to be held in the FY 2019-20.

Annexure-1

S. No	Name of the CGRF	Name of Member	Designation	Office address	Contact No.	E-mail
1	Goa	1. Sh. Desmond D. Costa 2. Vacant 3. Smt. Sandra Vaz e Correia	Chairperson Member Independent Member	Vidyut Bhavan, 4th Floor, Near KTC Stand, Mundvel, Vasco, Goa - 403802	0832-2501836 09422063637	cgrfgoa@yahoo.com Adv.sandracorreia@gmail.com
2	Andaman & Nicobar Islands	1. Shri K.G. Ravindran 2. Vacant 3. Sh. Basudev Dass	Chairperson Member Independent Member	No. EL/03 & 04, Horticulture Road, Haddo (PO), Port Blair-744102	09434266970 03192-244822 (O) 9679507141	Cgrf.and@nic.in andcgrf@rediffmail.com
3	Chandigarh	1. Sh. R.K. Sahi 2. Sh. Rajinder More 3. Sh. Jaswinder Singh Sidhu	Chairperson Member Independent Member	Old B&R Building, Adjacent to office of Haryana Tax Tribunal, Sector 19-B, Chandigarh	9646118108 (0172-2542012) 09872318618	chairpersoncgrf@gmail.com
4	Daman & Diu	1. Vacant 2. Shri Bharat Ratilal Icecreamwala 3. Dr. Habib Shakurbhai Mansuri	Chairperson Member Independent Member	Power House Building, Sea Facing road, Nani, Daman- 396210	9016333415	bricecreamwala@gmail.com
5	Dadra & Nagar Haveli	1. Sh. B.N. Mehta 2. Sh. Sunil Izari 3. Vacant	Chairperson Independent Member Member	Electricity Department, Dadra & Nagar Haveli, 66 KV substation, Amli Road, Silvassa-396230	09825400184 09824106776	Chairperson-cgrf@rediffmail.com
6	Lakshadweep	1. Sh. K.K. Kunhikrishnan 2 Smt. Sunidha Ismail KRB 3. Vacant	Chairperson Independent Member Member	CGRF for Electricity, Near Power House, Kavaratti, UT of Lakshadweep-682555.	9961848808 94961ss96167	Lk-ktelect@nic.in
7	Puducherry	1. Sh. K. Ramasubramanian 2. Sh. A.S. Jitendra Rao 3. Sh. R.Krishnamurthy	Chairperson Member Independent Member	No.6, 17th Cross Street, Anna Nagar, Puducherry-605 005	9961848808 0413-2201351 0413-2201451	cgrfpon@gmail.com

Annexure-2

Representations/Appeals disposed of by Electricity Ombudsman during the FY 2018-19

State/ UTs	Number of Representations	Subject Matter	Remarks
Goa	01	1. Disconnection billing	1. Admitted and award/order issued in favour of the department.
Chandigarh	05	1. Billing Dispute 2. Billing Dispute 3. Billing Dispute 4. Billing Dispute 5. Electricity Connection	1. Admitted and award/order issued in favour of the department. 2. Admitted and award/order issued in favour of the consumer. 3. Admitted and award/order issued in favour of the department. 4. Admitted and award/order issued in favour of the department. 5. Admitted and award/order issued in favour of the department.
Puducherry	03	1. Billing Dispute 2. Shifting of Transformer 3. Shifting of Pole	1. Admitted and award/ order issued in favour of the department. 2. Admitted and award/Order issued in favour of the consumer. 3. Admitted and award/order issued in favour of the department.
Andaman & Nicobar Islands	01	1. Electricity Connection	1. Admitted and award/order issued in favour of the department.

Petition Fees received during FY 2018-19

Annexure-3

Sl. No.	Date of Receipt	Petitioner/Electricity Department (ED)	Subject matter of petition	Amount (in rupees)
1.	10.04.2018	Advocate Rohit Rao	Fee for supply of Certified copy of T.O. of DNHPDCL	1450/-
2.	25.05.2018	ED-Chandigarh	Fee for filing review petition	2,71,500/-
3.	15.06.2018	ED-Chandigarh	Fee for filing petition	5,000/-
4.	25.07.2018	Advocate Savita Sinha	Fee for supply of Certified copy of T.O. of DNHPDCL	1590/-
5.	23.08.2018	ED-Chandigarh	Fee for approval of Long Term OA Procedure and extension of time for establishment of STU/SLDC	20,000/-
6.	04.09.2018	DNHPDCL	Fee for filing Business Plan for MYT control period for FY 2019-20 to FY 2021-22	1,00,000/-
7.	04.09.2018	Daman & Diu	Fee for filing Business Plan for MYT control period for FY 2019-20 to FY 2021-22	1,00,000/-
8.	12.09.2018	DNH (Transmission)	Fee for filing Business Plan for MYT control period for FY 2019-20 to FY 2021-22	1,00,000/-
9.	14.09.2018	ED-Chandigarh	Fee for filing Business Plan for MYT control period for FY 2019-20 to FY 2021-22	1,00,000/-
10.	31.08.2018	ED-Puducherry	Fee for filing Business Plan for MYT control period for FY 2019-20 to FY 2021-22	1,00,000/-
11.	31.08.2018	ED-Lakshadweep	Fee for filing Business Plan for MYT control period for FY 2019-20 to FY 2021-22	1,00,000/-
12.	25.09.2018	ED-Andaman & Nicobar Islands	Fee for filing Business Plan for MYT control period for FY 2019-20 to FY 2021-22	1,00,000/-

13.	26.09.2018	ED-Chandigarh	Fee for filing ARR petition for FY 2017-18 including fee for extension of time	26,37,360/-
14.	04.10.2018	ED-Goa	Fee for filing Business Plan for MYT control period for FY 2019-20 to FY 2021-22	1,00,000/
15.	28.11.2018	Puducherry Power Corporation Limited	Fee for filing ARR and tariff petition for 32.5 MW Gas Power Station for FY 19-20 to FY 21-22	15,00,000/-
16.	02.11.2018	ED-Chandigarh	Fee for filing petition	20,000/-
17.	17.11.2018	ED-Chandigarh	Fee for filing petition	20,000/-
18.	27.11.2018	ED-Puducherry	Fee for filing MYT ARR and tariff petition for FY 19-20 to FY 21-22	36,50,000-/
19.	28.11.2018	ED-Daman & Diu	Fee for filing MYT ARR and tariff petition for FY 19-20 to FY 21-22	26,27,160/-
20.	10.12.2018	ED-Dadra & Nagar Haveli (Transmission)	Fee for filing MYT ARR and tariff petition for FY 19-20 to FY 21-22	20,00,000/-
21.	10.12.2018	DNH Power Distribution Corporation Limited	Fee for filing MYT ARR and tariff petition for FY 19-20 to FY 21-22	62,96,880/-
22.	11.12.2018	ED-Chandigarh	Fee for filing MYT ARR and tariff petition for FY 19-20 to FY 21-22	26,85,300/-
23.	24.12.2018	ED-Goa	Fee for filing MYT ARR and tariff petition for FY 19-20 to FY 21-22	49,79,760/-
24.	03.01.2019	DNH Power Distribution Corporation Limited	Additional fee for filing MYT ARR and tariff petition for FY 19-20 to FY 21-22	10,00,000/-
25.	14.01.2019	ED-Lakshadweep	Fee for filing MYT ARR and tariff petition for FY 19-20 to FY 21-22	10,00,000/-
26.	26.02.2019	ED-Andaman & Nicobar Islands	Fee for filing MYT ARR and tariff petition for FY 19-20 to FY 21-22	10,00,000/-
			Total	**3,05,16,000/**

List of Regulations notified as on 31.03.2019

Annexure-4

S.No.	Notification No.	Regulation Title	Date of Notification
1.	JERC-01/2009	(Conduct of Business) Regulations-2009· • First Amendment Regulations-2013 • Second Amendment Regulations-2013 • Third Amendment Regulations-2014 • Fourth Amendment Regulations-2015	30.04.2013 • 11.10.2013 • 15.05.2014 • 30.07.2009 • 11.02.2015
2.	JERC-02/2009	Recruitment, Control and Service Conditions of Officers and Staff Regulations-2009	30.07.2009
3.	JERC-03/2009	Appointment and Functioning of Ombudsman Regulations-2009 • First Amendment Regulations-2013 • Second Amendment Regulations-2015 • Third Amendment Regulations-2017	31.07.2009 • 04.04.2013 • 01.01.2015 • 12.06.2017
4.	JERC-04/2009	Establishment of Forum for Redressal of Grievances of Consumers Regulations-2009 • First Amendment Regulations-2013 • Second Amendment Regulations-2015	31.07.2009 • 25.03.2013 • 30.01.2015
5.	JERC-05/2009	(Treatment of Other Businesses of Transmission Licensees and Distribution Licensees) • First Amendment Regulations-2016	18.12.2009 • 19.10.2016
6.	JERC-06/2009	Standard of Performance Regulations-2009 (REPEALED)	18.12.2009
7.	JERC-07/2009	State Advisory Committee Regulations-2009 • First Amendment Regulations-2015	18.12.2009 • 21.01.2015
8.	JERC-8/2009	Appointment of Consultants Regulations-2009	11.02.2010

9.	JERC-9/2009	Open Access in Transmission and Distribution Regulations-2009	11.02.2010
10.	JERC-10/2009	Terms and Conditions for Determination of Tariff Regulations-2009 (REPEALED)	08.02.2010
11.	JERC-11/2010	Electricity Supply Code Regulations-2010 (REPEALED)	20.05.2010
12.	JERC-12/2010	State Grid Code Regulations-2010	07.08.2010
13.	JERC-13/2010	Electricity Trading Regulations-2010	31.08.2010
14.	JERC-14/2010	Procurement of Renewable Energy Regulations-2010 • First Amendment Regulations-2014 • Second Amendment Regulations-2015 • Third Amendment Regulations-2016	30.11.2010 • 19.02.2014 • 22.12.2015 • 22.08.2016
15.	JERC-15/2010	Distribution Code Regulations-2010	11.08.2010
16.	JERC-16/2013	Procedure for filing appeal before the Appellate Authority Regulations-2013	29.04.2013
17.	JERC-17/2014	Demand Side Management Regulations-2014	24.06.2014
18.	JERC-18/2014	Multi Year Distribution Tariff Regulations-2014 (REPEALED)	30.06.2014
19.	JERC-19/2015	Solar Power - Grid Connected Ground Mounted and Solar Rooftop and Metering Regulations-2015	15.05.2015
20.	JERC-20/2015	Standard of Performance for Distribution Licensees Regulation-2015	24.07.2015
21.	JERC-21/2017	Connectivity and Open Access in Intra-State Transmission and Distribution Regulations-2017	14.03.2018
22.	JERC-22/2018	(Generation, Transmission and Distribution Multi Year Tariff) Regulations, 2018	10.08.2018
23.	JERC-23/2018	Electricity Supply Code Regulations-2018	26.11.2018

संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग

JOINT ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION

(गोवा राज्य और संघ राज्य क्षेत्र)

(For the state of Goa and Union Territories)

तीसरी एवं चौथी मंजिल, प्लॉट नं0 55–56, सेक्टर–18,
उद्योग विहार फेस–IV गुरूग्राम–122015 (हरियाणा)
ई–मेल: secy.jercuts@gov.in • वेबसाइट: www.jercuts.gov.in

3rd & 4th Floor, Plot No.55-56, Sector-18,
Udyog Vihar Phase-IV, Gurugram-122015 (Haryana)
Website: www.jercuts.gov.in • E-mail: secy.jercuts@gov.in